Tender Document For: Tile and Sheet Roofing Repair works

निविदा दस्तावेज/TENDER DOCUMENT

(नियम, शर्तें एवं ड्राइंग्स/Terms, Conditions & Drawings)

भाग/PART-ए/A

TECHNICAL BID /तकनीकी बोली

Proposed Mangalore Tile and Sheet Roofing Repair works
Mumbai Metropolitan Zonal Office, Standard Building, D.B. Road Fort ,Mumbai.
FOR

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

विज्ञापन की दिनांक/ Date of Advertisement	08-06-2021
प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक / Last Date of Submission	21-06-2021
बोली पूर्व मीटिंग **Pre Bid Meeting**	14/06/2021
खुलने की दिनांक Opening Date	तकनीकी बोली/Technical Bid : 21-06-2021 वित्तीय बोली: तकनीक रूप से अहर्ता प्राप्त ठेकेदार को सूचित किया जाएगा/ Financial Bid: To be intimated to technically qualified Contractors.
कार्य अवधि/Time Period of Work	कार्य आदेश प्रदान करने की दिनांक से 30 दिन 30 days from award of Work Order
बयाना जमा राशि/Earnest Money Deposit	रु./**Rs.5,000.00(**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में मांग ड्राफ्ट जो मुंबई पर देय हो/ **DD In favour of Central Bank Of India, Payable at Mumbai).**
निविदा दस्तावेज का मूल्य/Cost of Tender Document(गैर वापसी योग्य/Non Refundable)	रु./**Rs.500.00 (**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में मांग ड्राफ्ट जो मुंबई पर देय हो/ **DD In favour of Central Bank Of India, Payable at Mumbai**
खुलने की दिनांक से निविदा की वैद्यता/Validity of Tender from the date of opening of Financial Bid.	90दिन/ days
प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/ Documents to be provided	निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार/**As per Notice Inviting Tender.**
Independent External Monitor(IEM)	Mr.Trivikram Nath Tiwari **MAIL ID:**trivikramnt@yahoo.co.in
Email for Correspondence	gadmmzo@centralbank.co.in archmmzo@centralbank.co.in
Contact	Mr.V.Amarnath –Manager, Architect.-6303929013 Mr.Sanjay -Manager –BSD-8830528234

प्रस्तुतकर्ता/SUBMITTED B Y:

ठेकेदार का नाम/NAME OF CONTRACTOR :

:

जीएसटी विवरण/GST DETAILS :

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

निविदा सूचना/TENDER NOTICE

संदर्भ सं./REF NO: - /MMZO जीएडी/GAD: एआरसीएच/ARCH: 2021:22:02

दिनांक/DATE 08-06-2021

प्रति/To,

विषय/SUB: -

Proposed Mangalore Tile and Sheet Roofing Repair works
Mumbai Metropolitan Zonal Office, Standard Building, D.B. Road Fort ,Mumbai.

महोदय/Dear Sir,

उपर्युक्त कार्य के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के तहत् मदों की दर के लिए मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं/ Sealed item rate tenders are invited from contractors in Two Bid System (Technical and Financial) for the above works.

निविदा फॉर्म सामान्य कार्य समय में रु.1000/ (रु. एक हजार मात्र) गैर वापसी योग्य का भुगतान कर आंचलिक कार्यालय, मुंबई, से प्राप्त किए जा सकते हैं. निविदा फॉर्म बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ऐसे मामले में इसका मूल्य रु.1000/ (रु. एक हजार मात्र) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में मांग ड्राफ्ट जो मुंबई पर देय हो के माध्यम से निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा. **Tender form is available at Zonal office, Mumbai during normal office hours on payment of Rs. 500/- (Rs. Five Only), non-refundable. The tender form can also be downloaded from banks website. In that case a demand draft of Rs. 500/- in favour of Central Bank of India, Payable at Mumbai should be submitted along with the tender document in envelope 1(Technical Bid)**

EMD of Rs. 5000 /-(Rupees Five Thousand Only) shall be in the form of Bank Draft drawn in favour of "CENTRAL BANK OF INDIA", Payable at Mumbai, must accompany each tender.MSME Registered Vendors are exempted from EMD submission.

निविदा दस्तावेज की लागत, बयाना जमा राशि के बगैर एवं नियत दिनांक तथा समय के पश्चात प्राप्त निविदा को रद्द किया जाएगा.

Tender received without the cost of Tender Document, EMD & after due time & date shall be liable for rejection.

तकनीकी बोली दिनांक **21-06-2021** का सायं 3.30 बजे बोलीकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी तथा वित्तीय बोली खोले जाने की सूचना बोलीकर्ताओं को उचित समय पर दी जाएगी.

Technical Bids will be opened at 3:30 PM **21-06-2021** in presence of intending tenderers, or their authorized representatives and the opening of Financial Bids would be intimated in due course to the Bidders.

बैंक निम्न बोली को मान्य करने के लिए बाध्य नहीं है तथा बैंक के पास बिना कोई कारण बताए कोई भी निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा निविदा बुलाने का अधिकार सुरक्षित होगा.

रबर की मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

SIGNATURE OF TENDERER WITH RUBBER STAMP

The bank does not bind itself to accept the lowest tender & reserves to itself the right to accept any tender or reject any or call tender without assigning reason thereof.

प्रस्तुति की अंतिम दिनांक/LAST DATE OF SUBMISSION : **21-06-2021**

निविदा खुलने की दिनांक/TENDER OPENING DATE (तकनीकी बोली/Technical Bids) : **21-06-2021**

(निविदाएं कॉन्ट्रेक्टिंग एजेंसी की उपस्थिति में खोली जाएंगी/ Tenders will be opened in presence of intending contracting agencies)

धन्यवाद/Thanking You

भवदीय/Yours faithfully,

सहायक महाप्रबंधक

ASST.GENERAL MANAGER

मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय

Mumbai Metropolitan Zonal Office

रबर की मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

SIGNATURE OF TENDERER WITH RUBBER STAMP

निविदा आमंत्रण सूचना

NOTICE INVITING TENDER

1.1 निविदा/The Tender

Sealed item rate tenders are invited on behalf of Central Bank of India, Mumbai Metropolitan Zonal Office for Proposed Mangalore Tile and Sheet Roofing Repair works
Mumbai Metropolitan Zonal Office, Standard Building, D.B. Road Fort ,Mumbai

1.2. निविदा भरना/Filling in the Tender:

सही प्रकार से नहीं भरी गई, कटी-फटी, गलत गणना अथवा शर्तों का अनुपालन न करने वाली निविदाएं रद्ध कर दी जाएंगी.

Tender not properly filled, mutilated, with incorrect calculations or generally not complying with the conditions shall be rejected.

1.3. दर/The Rates:

निविदकर्ता को अपनी दर शब्द और अंक दोनों में उद्धत की जानी चाहिए.क्वांटिटि के शिड्यूल में पूरी तरह से मूल्य दिया जाए एवं प्रत्येक पृष्ठ का योग पिछले पृष्ठ के आंकड़े के साथ आगे ले जाया जाए तथा उसे लिखा जाए एवं निविदकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए. कोई भी स्थान खाली न छोड़ा जाए. यदि उद्धत की गई दर के शब्द और अंक में अंतर होता है तो शब्दों में दी गई दर मान्य होगी.

Tenderer should quote their rates both in figures and words. The schedule of quantities must be fully priced and the total of each page along with carried over figure of the previous page shall be given in ink and signed by the tender. No blank space shall be left. If any discrepancy is found in the rates quoted in figures and in words, the rate which is will be considered.

1.4. प्रस्तुति/Submission:

कार्य एवं निविदा के नाम सहित मोहरबंद लिफाफा सहायक महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के पास दिनांक 21-06-2021 को सायं: 3:00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए और तकनीकी बोली दिनांक 21-06-2021 को सायं: 3:00 बजे इसी कार्यालय में खोली जाएंगी.

Sealed tenders with name of the work and the name of the tender written on the envelope must be submitted to the. The Asst.General Manager Central Bank Of India **at Mumbai Metropolitan Zonal Office ,Standard Building, D.B. Road Fort** Latest by 3.00PM on 21-06-2021 and the technical bids will be opened on 21-06-2021 at 3.30PM at the same office

1.5. निविदा पर हस्ताक्षर/Signing the Tender:

यदि निविदा कंपनी अधिनियम 1956 में निगमित कंपनी की ओर से प्रस्तुत की जाती है तो कंपनी के प्रबंध निदेशक अथवा इस हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएं. यदि निविदा भागीदार फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो तो निविदा पर फर्म के सदस्य द्वारा सह भागीदार फर्म के साथ जो उसकी ओर से अपने नाम से हस्ताक्षर कर सकता है द्वारा किए जाएं एवं फर्म के प्रत्येक सदस्य का नाम एवं पता दिया जाए साथ ही साथ ही निविदा के साथ मुख्तार नामे की प्रति संलग्न की जाए जिसमें उस भागीदारों की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. निविदा के साथ भागीदारी प्रसंविदा की पंजीकृत प्रति प्रस्तुत की जाए.

If the tender is made by or on behalf of a company, incorporated under the companies Act. 1956, it shall be signed by their managing Director, or one of the directors duly authorized on that behalf. If it is

made by the partnership firm, it shall be signed with the co-partnership name by a member of the firm who shall sign in his own name and give the name and address of each partner of the firm and attach a copy of power of attorney with the tender authorizing him to sign on behalf of the partners. A certified copy of the registered partnership deed shall also be submitted along with the tender.

1.6. स्वीकारने की अवधि/Acceptance period:

निविदा, निविदा खुलने की दिनांक से 90 दिनों की अवधितक स्वीकृती के लिए वैद्य रहेंगे.

The tender shall remain valid for acceptance for a period 90 days from the date of opening of tender,

1.7. स्थल निरीक्षण/Site Inspection:

प्रत्यक निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह दर उद्धत करने के पूर्व प्रस्तावित कार्य के स्थल का निरीक्षण कर लें एवं उन्हें सभी ड्रॉइंग एवं दस्तावेज भी देख लेना चाहिए. यह माना जाएगा कि ठेकेदार द्वारा आनी लागत पर स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है एवं उद्धत दर हर परिस्थिति में लागू माना जाएगा.

Every tender is expected to inspect the site of proposed work before quoting his rates He must also go through all the drawings and documents. It will be construed that the contractor has inspected the site at his cost, and the quoted rates shall hold good in all conditions.

1.8. क्वांटिटि का शिड्यूल/Schedule of Quantities:

विभिन्न मदों के लिए क्वांटिटि का शिड्यूल इस निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए. यह निश्चित तौर पर स्पष्ट की जाती है कि नियोक्ता मद एवं क्वांटिटि स्वीकार नहीं करेगा एवं नियोक्ता अनुबंध की शर्तों को प्रभावित किए बिना अपने विवेक के अनुसार चूक, कटौती अथवा जोड़कर इसमें परिर्वन कर सकता है. नियोक्ता के पास इस आशय का अधिकार है कि वह अनुबंध की शर्तों को बिना प्रभावित किए किसी भी मद को कार्य क्षेत्र से हटा सकता है.

A schedule of quantities for various items accompanies this tender. It should be definitely understood that the Employer do not accept of items and quantities and his schedule is liable to alterations by omissions, deductions or additions at the discretion of the employer without affecting the terms of the contract. The Employer reserves the right to completely delete any item from the scope of the work without affecting the terms of the contract.

1.9. अनुबंध दरें/ Contractors Rates:

अनुबंध की दरों में कार्य स्थल तक सामग्री के परिवहन एवं स्टोरेज तथा सभी कर जैसे विक्रय कर, सीमा शुल्क एवं चुंगी इत्यादि के साथ मदों का उस स्थिति में फिक्सिंग या रख रखाव शामिल होना चाहिए जहां से कार्य संचालित किया जाना हो.

The contractors rates must include the cost of transportation of material to the site, storage at site all taxes such as sales tax, excise and octal etc. and the fixing or placing in position for which the items of works is intended to be operated.

1.10.स्पष्टीकरण/Interpretation:

विशिष्टताओं के स्पष्टीकरण के लिए निम्नतर महत्त्वपूर्ण क्रम का अनुपालन किया जाए

In interpreting the specifications the following order of decreasing importance shall be followed:

ए/a) क्वांटिटि का शिड्यूल/Schedule of quantities.

बी/b) सामग्री का शिड्यूल/Schedule of materials

सी/c) कार्यकुशलता का शिड्यूल/Schedule of workmanship.

डी/d) ड्रॉइंग/Drawings

ई/e) विशेष वैशिष्टताओं का विवरण/Particular of special specification.

एफ/f) सामान्य वैशिष्टताएं/General Specification.

समग्र रूप से अनुबंध में विशिष्टताओं द्वारा में समाहित नहीं किए गए विषय संबंध भारतीय मानक कोड द्वारा समाहित किए जाएंगे. यदि विशेष विषय के लिए तैयार नहीं किए गए हैं तो नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

Matters not covered by the specification given in the contract as a whole shall be covered by the matters not covered by the relevant Indian standard Codes. If such codes for a particular subject have not been framed the decision of the Employer shall be final and binding.

1.11. निविदा आमंत्रण सूचना में परिवर्तन/Alteration in Notice Inviting Tenders:

निविदाकर्ता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है यदि ऐसे परिवर्तन किए गए हैं अथवा कोई विशेष शर्त संलग्न की गई है तो निविदा को रद्ध किया जाएगा.

No alteration shall be made by the tender in the notice inviting Tenders and if any such alterations are made or any special condition attached, the tender is liable to be rejected.

1.12.निविदा स्वीकार किया जाना/Acceptance of Tender:

निविदा को स्वीकार करने का अधिकार नियोक्ता के पास है एवं वह निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं उसके पास बिना कारण बताए कोई एक अथवा प्राप्त सभी अथवा निविदाओं का कोई भाग निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा निविदाकर्ता उद्धत दर पर इसे निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा.

The acceptance of tender rest with the Employer, who does not bind himself to accept the lowest tender and reserves to himself the authority to, reject any or the entire tender received without assigning any reasons. The Employer reserves the right of accepting the whole or any part of the tenders and the tenders shall be bound to perform the same at their quoted rates.

1.13. स्थल पर्यवेक्षण/Site Supervision:

स्थल पर कार्य नियोक्ता अथवा उनके प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में किया जाना होगा. निविदा स्वीकार करने के उपरांत ठेकेदार को उसके अधिकृत प्रतिनिधि का का नाम देना होगा जो निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा एवं दैनिक आधार पर अनुदेश के लिए उत्तरदायी होगा.

The work shall be carried out under the direction of the Employer or their representative at site. On accepting the tender, the contractor shall intimate the name of his accredited representative who would be supervising the construction and would be responsible for taking instruction for carrying out the work on day basis.

1.14. गुणवत्ता/Quality:

सामग्री की गुणवत्ता और वर्कमेनशिप के लिए नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा. ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा रद्ध की गई सामग्री को तत्काल साइट पर से हटाना होगा.

The Employers decision with regard to the quality of the material and workmanship will be final and binding. Any material rejected by the Employer shall be immediately removed by the contractor from the site.

1.15. कार्य आरंभ/पूर्ण करने की अवधि/Commencement of Work/Period of Completion:

ठेकेदार को आशय-पत्र जारी करने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर कार्य आरंभ करना होगा. यह दिनांक कथित कार्य आरंभ करने की दिनांक मानी जाएगी. समय अनुबंध का मूल तत्व है. इस निविदा के अनुसार सभी कार्य प्रारंभ होने की दिनांक से 45 दिवस कें अंदर पूरे कर लिए जाएं.

The Contractor shall commence work on site within 7 days from the date of issue of the letter of intent. This date shall be considered as the date of commencement of the said work. Time is the essence of the contract. All works as per this tender will be completed within 45 days from the date of commencement.

1.16. दोष उत्तरदायित्व अवधि/Defect Liability Period:

कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 12 माह की "दोष उत्तरदायित्व अवधि" किसी भी प्रकार का दोष होने पर इसे ठेकेदार द्वारा सुधारा जाएगा.यदि यह दोष सुधारा नहीं जाता है तो नियोक्ता परामर्शदाता की सहमति से अन्य किसी एजेसी से ठेकेदार की जोखिम और लागत पर कराएगा. इस तरह के दोष नियोक्ता से लिखित में सूचना प्राप्ति के पश्चात ' उत्तरदायित्व अवधि' की सीमा तक दूर करना होगा.

Any defected developed within "Defect Liability Period" of 12 months from the date of completion will have to be rectified by the contractor. In case of failure to do so the employer with the concurrence of the consultant shall get the rectification work done by some other agency at the risk and cost of the contractor. The rectification of such defects shall be taken on receipt of written notice from the Employer and such defects may extent "liability period".

1.17. टुकड़ों में कब्जा/Part Occupation:

यदि स्वामी टुकड़ों में कब्जा चाहता है तो ठेकेदार को नियोक्ता से मिलकर उस क्षेत्र का कार्य पूरा करना होगा और उसे करार के किसी भी खंड को प्रभावित किए बिना नियोक्ता को कब्जा देना होगा.

If the owner wants to occupy areas in part, the contractor shall have to be complete the work of the area in conjunction with the Employer and hand over the same to the Employer without affecting any of the clauses of agreement.

1.18.व्यतिरेक हस्ताक्षर/ Contrast Signing:

निविदा स्वीकारे जाने के पश्चात निविदाकर्ता को सूचना के 10 दिवस के अंदर आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा स्टैंप पेपर सहित करार का व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा. यदि कोई विलंब होता है तो 'बयाना जमा राशि' जब्त कर ला जाएगी तथा निविदा रद्ध की जाएगी अथवा अनुबंध निविदा की शर्तों के अनुसार अनुबंध प्रवर्तित करना होगा तथा निविदकर्ता इसके लिए बाध्य होगा चाहे निविदकर्ता द्वारा औपचारिक करार निष्पादित और हस्ताक्षर नहीं किया गया हो.

After acceptance of the tender, the tender shall sign the necessary papers within 10 days of the intimation, Expenses for the agreement including cost of stamp papers etc. shall be borne by the contractor. In case of delay, the "Earnest Money" may be forfeited and the tender cancelled or the contract enforced as per term of the tender and the tender shall thus be bound even though the formal agreement has not been executed and signed by the tender.

1.19. बयासना जमा राशि/Earnest Money Deposit:

EMD of 5000 /- (Rs. Five Thousand Only) For in the form of Bank Draft only and in favour of CENTRAL BANK OF INDIA AT MUMBAI, shall be submitted along with the tender.MSME vendors to submit relevant registrations if claiming exemption.

बिना बयाना जमा राशि अथवा उपर्युक्त के अलावा अन्य किसी रूप में प्राप्त निविदा को रद्द कर दिया जाएगा. असफल निविदाकर्ताओं को बयाना जमा राशि निविदा खुलने की दिनांक से एक माह के अंदर वापस की जाएगी. धारित राशि के अतिरिक्त बयाना जमा राशि को भी जमा रखा जाएगा एवं कार्य पूरा होने के उपरांत इसे वापस किया जाएगा.

The tender reserved without EMD or any other form than stated above may be rejected. The EMD shall be refunded to the unsuccessful tenders within one month of the opening of the tender. The EMD shall be retained in addition to the retention money and shall be returned on completion of the project.

b) धारित राशि/Retention Money: प्रत्येक रनिंग बिल के मूल्य का 10 प्रतिशत प्रत्येक रनिंग खाता-भुगतान से कटौती की जाएगी.

Retention Money at the rate of 10% of each running bill value shall be deducted from each running account payment.

c) धारित राशि/बयाना जमा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा.

The Retention money/EMD amount shall not bear any interest.

1.20. जमा राशि का भुगतान/Refund Deposit:

प्रोजेक्ट के वास्तविक रूप से पूर्ण होने पर धारित राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि वास्तविक कार्य पूरा होने की दिनांक से 12 बाह की दोष उत्तरदायित्व अवधि पूर्ण हाने के उपरांत की जाएगी.

50% of the retention money shall be returned after the virtual completion of the project and the balance 50% shall be returned after the defects liability period of 12 months from the date of virtual completion.

1.21. सामग्री की पूर्ति/Supply of Material:

कार्य के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार की सामग्री की पूर्ति के लिए स्वामी बाध्य नहीं है. ठेकेदार को सामग्री के शिड्यूल में दी गई गुणवत्ता और मेक के अनुसार ही क्रय करना होगा तथा नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त करना होगा.

Owner does not bind himself to supply any materials whatsoever required for the work. The quality/make of the material purchased by the contractor shall be exactly same as mentioned in the schedule of materials and shall be got approved by the Employer.

1.22 बीमा/Insurance:

सफल ठेकेदार को अपने नाम पर सभी जोखिम बीमा (सीएआर) लेना होगा तथा मूल पॉलिसी स्वामी के पास जमा करनी होगी. पॉलिसी में निम्नानुसार खंड समाहित किए जाने चाहिए :

The successful Contractor shall take out contractor all risk (CAR) insurance policy, in the name of the contractor, and the original policy shall be deposited with the owner. The policy shall cover clause as under:-

a) ठेकेदार को पूरे समय सुरक्षित रखना होगा और नियोक्ता एवं उसके अधिकारी, कर्मचारी, ग्राहक और अन्य अतिथियों अथवा कार्य-परिसर में आने-जाने वालों को तृतीय पक्ष दावे से सुरक्षित रखना होगा. The contractor shall at all times indemnify and keep indemnified the employer and its officers, servants, clients and any other guest, customer or person moving in the work premises from and against all third party claims जो कुछ (संपत्ति को हानि/नुक्सान, ठेकदार के व्यक्तिगत एजेंट कोई उप ठेकेदार और/अथवा नियोक्ता सहित किंतु इस तक सीमित नहीं)

whatsoever (including but not limited to property loss and damage, personal agents to the contractor, any sub-contractor and/or the employer) and the contractor shall at his own cost and initiative at all times up to the successful conclusion of the defects liabilities under his clause, including but not limited to third party insurance and liability under the motor vehicle Act, Risk Insurance Act and/ or other Industrial Legislation from time to time in force in India with insurance company (ies) approved by the owner and such policy (ies) shall be of not lesser limit than the limits hereunder specified namely :-

i) कारीगर क्षतिपूर्ति बीमा- भारतीय गणतंत्र के नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक देय क्षतिपूर्ति/Workmen's compensation Insurance- to the limit to which to which compensation may be payable under the laws of the Republic of India.

ii) तृतीय पक्ष बीमा/Third party Insurance – शारीरिक चोट एवं संपत्ति को नुक्सान सभी कार्य में प्रत्येक दुर्घटना के लिए सीमा रु.1,00,000/ (रु. एक लाख) से कम नहीं होगी बशर्ते उल्लिखित सीमाएं केवल बीमा उद्देश्यों के लिए न्यूनतम सीमाओं के विनिर्देशन के रूप में संचालित होंगी, लेकिन निर्दिष्ट सीमा (एं)के लिए इस खंड के अनुसार किसी भी तरह से देयता को सीमित नहीं करेगा

body injury and property damage to the limit of not less than Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lac Only) in each accident at all jobs sites provided that the limits specified above shall operate only as a specification of minimum limits for insurance purposes, but shall not in any way limit the liability in terms of this Clause to the limit(s) specified.

b) यदि ठेकेदार पूर्वगामी उपखंड के अनुसार बीमा किए जाने अथवा जारी रखने में असफल रहता हैतो नियोक्ता (ऐसा करने की बाध्यता के बगैर) ठेकेदार की लागत और व्यय पर नियोक्ता की ओर से अन्य अधिकारो व उपायों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसा सबीमा सकरने और दस संबंध में व्यय की गई राशि को ठेकेदार को देय से कटौती करने का अधिकार होगा.

Should the contractor fail to take out and/or keep afoot as provided for the foregoing sub clause, the Employer shall be entitled (but without obligation to do so) to take out and/or keep afoot such insurance at the cost and expense of the Contractor, and without prejudice to any other rights or remedies of the Employer in this behalf, to deduct the sum(s) incurred, from the dues of the Contractor.

1.23पॉलिसी की अवधि/ Period of Policies:

उपर्युक्तानुसार सूचित सभी बीमा कवर, अनुबंध पूरी होने ओर दोष देयता अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए.

All insurance covers mentioned above shall be kept alive during the completion period of contract and defects liability period.

1.24. परिनिर्धारित नुक्सान/Liquidated Damages:

पूरा प्रोजेक्ट सहमत अवधि में चरणबद्ध तरीके से सौंपना होगा. नियोक्ता परिनिर्धारित नुक्सान दंड के रूप में कुल अनुबंध मूल्य का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह के रूप में वसूल होगा जा अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगा. Entire project will be completed and handed over within agreed timing in a phased manner, Employer shall levy liquidated damages by way of penalty a sum at the rate 1 % of the total contract value per week subject to the maximum of 10 % of the contract value

1.25 अतिरिक्त मद/Extra item:

बदली गई सभी अधिकृत मद अैर स्थानापन्न कार्य की गणना निम्नानुसार की जाएगी.

The rates of all authorized extra items altered or substituted work shall be worked out as follows:-

a) दर अनुबंध की विद्यमान दर अथवा उसके आधार पर निकाली जाएंगी यथासंभव अधिकतम उसी वर्ग तथा कार्य की प्रकृति के अनुसार होंगी.

The rates shall be based on or derived from the existing rates in the contract as far as possible and to the maximum extent possible from the same class & nature of work.

b) जहां दरें ऊपर (ए) (I) के तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, वहां उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार दर जिसमें कर, सीमा शुल्क इत्यादि शामिल हैं साथ ही ठेकदार का 15 प्रतिशत लाभ, उपरी खर्च एवं पर्यवेक्षण प्रभार अथवा नियोक्ता द्वारा जैसा परमर्श दिया गया हो को जोड़कर गणना की जाएगी.

Where the rates cannot be derived in the manner of (a)(I) above, the same shall be worked out on the basis of most competitive market rates inclusive of any taxes, octrai etc. plus 15% for contractor's profit, overheads and supervision charges or as suggested by the Employer.

c) ठेकेदार को आदेश प्राप्ति के उपरांत उपर्युक्त कार्य 3 दिनों में करना होगा तथा कार्य की ऐसी मदों के लिए दर प्रस्तुत करना होंगी जिनका उसके द्वारा दावा प्रस्तावित है , इसके समर्थन में दर विश्लेषण एवं वाउचर भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए. प्रोजेक्ट इंजीनियर विधिवत् विश्लेषण अैर औचित्यता के साथ इन मदों के लिए स्वीकार्य दर एक माह की अवधि के अंदर सूचित करेगा.

d) The Contractor shall, within three days of the receipt of an order carry out the above within 3 days after having carried out the above work, submit the rates which he proposes to claim for such item of work, supported by rate analysis and vouchers. The project engineer shall with due analysis and justification communication to the contractor the rate admissible for these items, within a period of one month.

1.26 वृद्धि/Escalation:

प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान ठेकेदार को श्रम, सामग्री या किसी अन्य वैधानिक लेवी / कर पर कोई भी वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा और दोष दायित्व अवधि के दौरान इस खंड में कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा.

No escalation on labour, material or any other statutory levy/tax will be paid to the contractor during the duration of the project and during the defect liability period no alteration in this clause will be acceptable.

1.27 निविदा प्राप्ति/Receipt of Tenders:

मोहरबंद लिफाफे में सभी प्रतियों, ड्राइंग इत्यादि सहित निविदाएं इस खंड में दिए अनुसार प्राप्त की जाएंगी.

Tenders along with all the copies, drawings etc. in sealed envelope will be received as stated on the cover of this volume.

1.28. इ एस आई (कर्मचारी राज्य बीमा) एवं भविष्य निधि/E.S.I. (Employee States Insurance) & Provident Fund:

इएसआई एवं भविष्य निधि प्रभार यसदि, लागू हों तो ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे;

ESI charges & Provident fund charges, if applicable, shall be borne by the Contractor.

1.29. कार्य-कर/Work Tax:

कार्य अनुबंध कर के भुगतान की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी.

Payment of works contract tax shall be the responsibility of the Contractor.

परिशिष्ट/APPENDIX		
विभिन्न खंडों का सारांश/SUMMARY OF VARIOUS CLAUSES		
1.	**प्रारंभ होने की दिनांक (1.15)** **Date of Commencement(1.15)**	कार्य आदेश जारी होने से 7 दिन 07 Days from the issue of Work Order
2.	**पूर्ण होने की अवधि** **Period of Completion(1.15)**	प्रारंभ होने से 30 दिन 30Days from the date of Commencement.
3.	**दोष उत्तरदायित्व अवधि** **Defects Liability Period(1.16)**	वास्तविक रूप से पूर्ण होने की दिनांक से 12 माह 12 Months from date of virtual completion.
4.	**बयाना जमा राशि** **Earnest Money Deposit(1.19a)**	निविदा के साथ रु. 5000/ का मंग ड्राफ्ट जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में हो तथा मुंबई पर देय हो Rs5, 000/-(Rupees Five Thousand Only) Along with Tender in the Form of Demand Draft Favouring Central Bank Of India Payable at Mumbai.
5.	**धारित राशि** **Retention Money(1.19b)**	प्रत्येक रनिंग बिल के प्रमाणित सकल मूल्य का 10% 10% of certified gross value of each running bill
6.	**अंतरिम बिल के लए कार्य का मूल्य** **Value of Work for Interim Bill(1.20)**	कार्य आदेश मूल्य का 50% 50% of the Work Order Value
7.	**परिनिर्धारित हानि** **Liquidated Damages(1.24)**	प्रति सप्ताह कुल अनुबंध मूल्य का 1% अधिकतम अनुबंध मूल्य के 10% के अधीन 1 % of the total contract value per week subject to the maximum of 10 % of the contract value

निविदा फॉर्म/ TENDER FORM

रबर की मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

SIGNATURE OF TENDERER WITH RUBBER STAMP

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

प्रति/To,

सहायक महाप्रबंधक/THE ASST. GENERAL MANAGER

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/CENTRAL BANK OF INDIA,

मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय/Mumbai Metropolitan ZONAL OFFICE,

मुंबई/MUMBAI

कार्य का नाम :

NAME OF WORK: Proposed Mangalore Tile and Sheet Roofing Repair works Mumbai Metropolitan Zonal Office, Standard Building, D.B. Road Fort ,Mumbai.

महोदय/Dear Sir,

उपर्युक्त प्रस्तावित कार्य की निविदा के संबंध में, मैं/हम निम्नानुसार सूचित करते हैं.
With reference to the tender by you for the above proposed work, I/we write this after

(a) मैंने/हमने डिज़ायन, ड्राइंग विवरण, क्वंटिटि का शिड.यूल, समाग्री का शिड्यूल, कार्य कौशल का शिड्यूल, निविदा के लिए अनुदेश, करार का मसौदा का परीक्षण किया है तथा निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों और उनमें दिए गए तथ्य एवं प्रस्तावित कार्य से संबद्ध संलग्न निविदा अनुबंध (जिसे बाद में अनुबंध दस्तावेज कहा गया है) का भलिभंति अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है.
having examined the design, drawings details, schedule of quantities, schedule of materials, schedule of workmanship, instructions to tenders, draft agreement and having thoroughly gone through all the pages of the Tender documents & having understood the facts intended to be conveyed therein the tender annexed thereto (here-in-after called the Contract Documents) relating to the proposed work.

(b) प्रस्तावित कार्य के कार्य स्थल देख लिया है और
Having visited and examined the work site of the proposed work and,

(c) निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक सूचना प्राप्त कर ली है.
Having acquired with the requisite information as affecting the tender.

मैं/हम अद्योहस्ताक्षरी क्वांटिटि के शिड्यूल के मूल्य की गणना प्रतिफल पर एतद्द्वारा अनुबंध दस्तावेज का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य करने की पेशकाश करते हैं.
I/We, undersigned, hereby offer to execute the proposed work in strict accordance with the contract documents for the consideration to be calculated in terms of the priced schedule of quantities.

मैं/हम आपके द्वारा हमारी निविदा स्वीकार करने की सूचना की दिनांक से और साइट ग्रहण करने की दिनांक से शिड्यूल के अनुसार कार्य करने का वचन देते हैं.
I/we undertake to complete the whole of the works as per the attached schedule from the date of issue of intimation by you that our tender has been accepted and upon receiving possession of the site.

मैं/हम इस बात का भी वचन देते हैं अनुबंध के समय विस्तार की शर्त के अधीन असफल रहने पर, उस अवधि के लिए जिसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है के लिए अनुबंध की शर्तों के परिशिष्ट के अनसुार मैं/हम सहमत परिनिर्धारित हानि राशि का भुगतान स्वामी को करेंगे.

रबर की मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

I/We further undertake that on failure, subject to the condition of the contract relating to extension of time, I/We shall pay the agreed 'Liquidated Damages' to the Owner the sum named in the Appendix to the conditions of contract, Liquidated Damages' for the period during which the work shall remain incomplete.

मैं/हम रु.5000.00 बतौर बयाना राशि आपके पास जमा करेंगे जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और मैं हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि नियोक्ता मेरी/हमारी निविदा स्वीकार कर लेता है और मैं हम कहे जाने पर अनुबंध लेने में असफल रहते हैं तो यह रशि जब्त कर ली जाएगी.

I/We hereby deposit with you as 'Earnest Money' of Rs.5000 /- (Rs. Five Thousand Only) carrying no interest and I/We do hereby agree that this sum shall be forfeited in the event of the Employer accepting my/our tender and I/We fail to take up the contract when called upon to do so.

मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि अंतरिम भुगतान से 10% 'धारिता राशि' के लिए कटौती की जाएगी जो करार में संबंधित खंड के अनुसार वापस की जाएगी. I/We further agree to the deduction of 10% from the 'Interim Payment' towards the 'Retention money, which will be returned as per the relevant Clauses in the agreement.

भवदीय/Yours faithfully

फर्म के भागीदारों के नाम/Name of the partners of the firm

अथवा/OR

व्यक्तियों के नाम जिनके पास अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तारनामा है
Name of the persons having Power-of Attorney to sign the contract.

रबर की मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध/**Annexure-I**

(सफल बोलीकर्ता द्वारा रु200 के गैर अदालती स्टांप पेपर पर दिया जाए)
(On Rs.200/- non-judicial stamp paper by the successful bidder)

द्वारा/From: ठेकेदार/The Contractor

प्रति- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई.
To Central bank of India, Mumbai.

महोदय/Dear Sirs,

हम टेंडर के कवर पेज (पेज नंबर 1) पर वर्णित परिसर में _____ के लिए _____दिनांक की निविदा का उल्लेख करते हैं। हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने अनुबंध के निष्पादन के लिए केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय सभी कानून के अंतर्गत माल प्रदाय करने के लिए सभी औपचारिकताओं का अनुपालन किया है. हम यह भी पुष्टि करते हैं कि आपको प्रदाय की गई सामग्री के लिए हमारे बिक्री एवं सीमा शुल्क सहित सभी कर एवं शुल्क का भुगतान कर दिया है और इसके लिए हम जिम्मेवार होने का वचन देते हैं.

We refer to the tender dated _____ for _____ at the premises mentioned on cover page (page no.1) of the tender. We hereby confirm that we have complied with all formalities in the performance of our Contract for the supply of goods and services under all statutes governing the same, Central, State or Local. We further confirm that we have paid all taxes and duties including sales tax and excise duty in respect of the goods and services supplied to you and undertake to be responsible for the same.

हम किसी भी दावे या मांग और सभी हानि, लागत, शुल्क अथवा अन्यथा और किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए दावों के भुगतान के लिए निविदा के तहत हमारे दायित्व के संबंध में किए गए किसी भी दावे के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय अथवा नुक्सान के लिए क्षतिपूर्ति करने और आपको क्षतिपूरित करने के लिए सहमत हैं।
We agree to indemnify and keep you indemnified against any claim or demand and all loss, costs, charges and expenses incurred or suffered by you as a result of any claim being made by any person in respect of our obligation under the said tender for payment of taxes, duties or otherwise.

भवदीय/Yours truly,

दिनांक/ **Date : _____**

रबर की मोहर सहित ठेकेदार के हस्ताक्षर/**SIGNATURE OF CONTRACTOR WITH RUBBER STAMP**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

अनुबंध/**Annexure - II**

(सफल बोलीकर्ता द्वारा रु.200/ के गैर अदालती स्टांप पेपर पर)
(On Rs.100/- non-judicial stamp paper by the successful bidder)

द्वारा/From: ठेकेदार/The Contractor

प्रति/To : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई/Central bank of India, Mumbai.

महोदय/
Dear Sirs,
हम टेंडर के आवरण पृष्ठ (पृष्ठ नं। 1) पर बताए गए आपके परिसर में सामान और सेवाओं की आपूर्ति के लिए दिनांक _____ की निविदा / अनुबंध का उल्लेख करते हैं. हम सूचित करते हैं कि हम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1 9 44 द्वारा निर्धारित छूट सीमा के अंतर्गत आते हैं और आपको प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं पर कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं है. हम यह भी पुष्टि करते हैं कि अनुबंध के निष्पादन में माल प्रदाय करने और सेवा के लिए सभी केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय नियमों का अनुपालन किया है.

We refer to the tender / contract dated _____ for supply of goods and services to you at your premises of as mentioned on cover page (page no.1) of the tender. We advise that, we are covered under the exemption limit prescribed by the Central Excise Act 1944 and no Excise is payable by us on the goods and services supplied to you. We further confirm that we have complied with all the formalities in the performance of our contract for the supply of goods and services and under all statues governing the same, Central, State or local.
हम यह भी वचन देते हैं कि हमारे द्वारा आपको प्रदाय किया गया माल एवं सेवा पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क सहित यदि कोई कर अथवा शुल्क देय है तो इसके भुगतान की जिम्मेदारी हमारी होगी.
We undertake that if any taxes and duties including sale tax and Excise duty in respect of goods and services supplied to you by us is payable, the responsibility of paying the same shall be ours.

हम किसी भी दावे या मांग और सभी हानि, लागत, शुल्क अथवा अन्यथा और किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए दावों के भुगतान के लिए निविदा के तहत हमारे दायित्व के संबंध में किए गए किसी भी दावे के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय अथवा नुक्सान के लिए क्षतिपूर्ति करने और आपको क्षतिपूरित करने के लिए सहमत हैं।
We agree to Indemnify and keep you Indemnified against any claim or demand and all loss, cost, charges and expenses incurred and suffered by you as a result of any claim being made by any person in respect of our obligation under the said tender / contract for payment of taxes, duties or otherwise.

भवदीय/Yours truly,

Date : _____

रबर की मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर/**SIGNATURE OF TENDERER WITH RUBBER STAMP**

करार की शर्तें/ ARTICLES OF AGREEMENT

(सफल बोलीकर्ता द्वारा रु.200/ के गैर अदालती स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाए)

(On Rs.200/- non-judicial stamp paper by the successful bidder)

यह करार आज दिनांक ..... 2020 दिन ..... को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक निगमित निकाय है तथा बैंकिंग कंपनी अधिनियम(अभिग्रहण एवं स्थानंतरण) 1970 के प्रावधानों के तहत गठित है, तथा जिसका मुख्यालय चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400020 पर स्थित है (जिसे इसके पश्चात बैंक कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में जहां भी ऐसा संदर्भ आए उनके उत्तरधिकारी एवं समनुदेशिती भी शामिल होंगे) और दूसरी ओर मे. (ठेकेदार का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय (ठेकेदार का पता) पर स्थित है (जिसे बाद में ठेकेदार कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में जहां भी ऐसा संदर्भ आए उनके उत्तरधिकारी एवं समनुदेशिती भी शामिल होंगे) के बीच निष्पादित किया गयाहै./This agreement is executed at Mumbai on this …….. day of …….. 2011 between Central Bank of India, a body corporate, constituted under the provision of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act. 1970, having its Head Office at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021. (hereinafter referred to as the "Bank" which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning therof, includes its successors and assigns) of the ONE PART and M/s (name of contractor), having its Registered office at (address of contractor. (Hereinafter referred to as the "Contractor", which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, includes its successors and assigns) of the OTHER PART.

जबकि बैंक (स्थल एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण दें) कराने का इच्छुक है और इसलिए निविदाएं आमंत्रित की हैं. WHEREAS the Bank is desirous of carrying out the (brief description and address of work) and therefore has invited tenders.

और जबकि ठेकेदार ने (स्थल एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण दें) के लिए निविदा प्रस्तुत की है जिसे बाद में कहा गया है और बैंक ने स्वीकार कर लिया है. /AND WHEREAS the contractor has submitted its tender for carrying out the (brief description and address of work) is hereinafter referred at as and the same was accepted by the Bank.

और जबकि ठेकेदार ने दिनांक ;;;;;(निविदा की दिनांक) को निविदा प्रस्तुत की है जिसमें (कार्य का संक्षिप्त विवरण) करने का वर्णन किया गया है. साथ ही इसमें क्वांटिटि का मूल्य शिड्यूल, अनुबंध की सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें, अतिरिक्त शर्तें इत्यादि, क्वांटिटि के मूल्य शिड्यूल में उल्लिखित संबद्ध दरें और कार्य आदेश के अनुसार अनिवार्य नियम और शर्तों का विवरण दिया गया है./AND WHEREAS the contractor has submitted the tender dated (date of tender) wherein the (brief description of the work) work to be done was also described as per priced schedule of quantities, along with the general condition of contract, special conditions, additional conditions etc., at the respective rates mentioned in the priced schedule of quantities and also as per the essential terms and conditions mentioned in the work order no. (Work order no. and date) issued by the Bank to the Contractor.

और जबकि बैंक ने ठेकेदार का क्वांटिटि का मूल्य शिड्यूल, अनुबंध की सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें, अतिरिक्त शर्तें इत्यादि, क्वांटिटि के मूल्य शिड्यूल में उल्लिखित संबद्ध दरें और कार्य आदेश के अनुसार अनिवार्य नियम और शर्तों सहित (कार्य का संक्षिप्त विवरण) पूरा करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है.
AND WHEREAS Bank has also accepted the offer of the contractor to fulfill the (brief description of the work) work as agreed to in its tender dated wherein the work to be done was described as per priced

schedule of quantities, along with the general conditions of contract, special conditions, additional conditions etc., at the respective rates mentioned in the priced schedule of quantities, and as per the work order no.

अब यह करार निम्नानुसार किया जाता है/NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

ठेकेदार एतद्द्वारा इस बात के लिए सहमत है कि वह (कार्य का संक्षिप्त विवरण) दिनांक ..... (निविदा की दिनांक) की निविदा के अनुसार जिसकी प्रति संलग्न है, इस करार का एक खंड होगा, जिसमें क्वांटिटि के मूल्य शिड्यूल के साथ अनुबंध की सामान्य, विशेष, अतिरिक्त शर्तें इत्यादि , क्वांटिटि के मूल्य शिड्यूल में उल्लिखित संबद्ध दरें और कार्य आदेश(कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक) के अनुसार अनिवार्य नियम और शर्तों जिसकी प्रति संलग्न है एवं इस करार का एक खंड है के अनुसार कार्य करेगा.

The contractor hereby agrees that it shall execute the (brief description of the work) work as per the tender dated (date of tender) copy whereof is enclosed and the same shall form part and parcel of this agreement, wherein work to be done was described as per priced schedule of quantities, along with the general conditions of contract, special conditions, additional conditions etc, at the respective rates mentioned in the priced schedule of quantities, and also as per the essential terms and conditions mentioned in the work order no. (Work order no. and date) copy whereof in enclosed and the same shall form part and parcel of this agreement.

1. बैंक एतद्द्वारा ठेकेदार को ऐसी राशि जो निम्नानुसार समय और निविदा दिनांक साथ ही बैंक द्वारा जारी कार्य आदेश में उल्लिखित नियम और शर्तो के अनुसार देय होंगी का भुगतान करने के लिए सहमत है. /The Bank hereby agrees to pay to the contractor such sums as shall become payable hereunder at the time and in the manner specified in the tender dated and also as per the essential terms and conditions mentioned in the work order no. issued by the Bank to the contractor.
2. ठेकेदार ने करार के निष्पादन के लिए रु. (आइएसडी राशि) (आईएसडी राशि शब्दों में) ने बतौर प्रारंभिक प्रतिभूति के रूप में जमा किए हैं और बैंक इसकी पावती देता है./The Contractor has deposited Rs. (ISD amount) (Rupees (ISD amount in words) Only) with the Bank as Initial security deposit for due performance of the agreement, and the Bank hereby acknowledge the same.
3. इसके आगे पैरा 5 में निर्दिष्ट के अधीन दोनों पक्ष दिनांक (निविदा की दिनांक) की निविदा में उल्लिखित नियम और शर्तों (जैसा कि इस करार में उल्लिखित किया गया है) साथ ही बैंक द्वारा ठेकेदार को जारी कार्य आदेश में उल्लिखित नियम और शर्त (कार्य आदेश सं. एवं दिनांक) के अनुपालन के लिए सहमत हैं. / Subject to what is stated in para 5 hereinafter, both the parties hereby agree to abide by and submit themselves to the terms and conditions and also stipulations as mentioned in the tender dated (date of tender) (as mentioned by this agreement) and also as per the terms and conditions mentioned in the work order no. (Work order no. and date) issued by the Bank to the Contractor.
4. नियम और शर्तों में उल्लेख एवं शर्तों के बावजूद भी i)मध्यस्थ की नियुक्ति एवं मध्यस्थ कार्रवाई का संचालन और ii) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र जैसा कि दिनांक ..... (निविदा की दिनांक) की निविदा में उल्लिखित किया गया है; दोनों पक्ष इस तरह से सहमत हैं कि :/ Notwithstanding what is stated in terms and conditions and also stipulations [as to i) appointment of arbitrator and conducting the arbitration proceedings, and ii) the jurisdiction of Courts] as mentioned in tender dated (date of tender) both the parties hereby agrees that:

   a)मध्यस्थ की नियुक्ति औ्र मध्यस्थ कार्रवाई संचालन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों से नियंत्रित होगी.

   The appointment of Arbitrator/s & conducting the arbitration proceedings shall be governed by the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996, and

   b) कोई भी विवाद/मतभेद में निर्णय के लिए सिर्फ मुंबई के न्यायालय को अधिकार होगा.

Any dispute / differences, if any, shall be deemed to have arisen in and only courts in Mumbai shall have exclusive jurisdiction to try and determine the same.

5. इस अनुबंध के सभी भागों को हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है तथा पूरी तरह से समझ लिया गया है व हमारे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है./The several parts of this contract have been read to us and fully understood and signed by us.
6. यह करार (कार्य आदेश/ कार्य प्रारंभ होने की दिनांक) से लागू माना जाएगा. / This agreement is deemed to have come into force on (date of work order / commencement date).

साक्षी स्वरूप ठेकेदार एवं बैंक ने उपर्युक्तानुसार उल्लिखित दिन, माह एवं वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए है. WITNESS WHEREOF THE CONTRACTOR AND THE BANK HAVE AFFIXED THEIR RESPECTIVE SIGNATURES ON THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST MENTIONED ABOVE.

श्री ..... जो इसके नियुक्त एटॉर्नी हैं के हस्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किया गया

Signed and delivered by Central Bank of India by the hands of Shri. It's constituted Attorney, in the Presence of;

1)

2)

] सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से
For and on behalf of Central Bank of India

मोहर सहित (कॉमन सील लगाकर) हस्ताक्षरित एवं निम्न के द्वारा सुपुर्द किया गया / Signed sealed (with common seal) and delivered by

मे. (फर्म का नाम) इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी के माध्यम से/M/s (Name of the firm), through It's authorized Signatory श्री/Shri.

निम्न क उपस्थिति में
In the presence of:

1)

2)

]

( )

प्राधिकृत हस्ताक्षरी/ Authorized Signatory

रबर की मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

परिभाषा एवं व्याख्या

DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

1. **परिभाषाएं/DEFINITIONS** :

जहां संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक है को छोड़कर निम्नलिखित शब्दावली का अर्थ निम्नानुसार होगा.
The following terms shall have the meaning hereby assigned to them except where the context otherwise require.

(a) नियोक्ता से तात्पर्य मे. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है.
Employer means M/s CENTRAL BANK OF INDIA or his/her Authorized Representative.

(b) परामर्शदाता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे नियोक्ता द्वारा अनुबंध के उद्धेश्य से वास्तुविद के रूप में कार्य करने हेतु समय समय पर नियुक्त किया जाएगा. दस्तावेज के कुछ भागों में वास्तुविद से तात्पर्य परामर्शदाता होगा.
Consultant shall be the person for the time being or from time to time duly appointed by the Employer to act as 'Architect' for the purpose of the contract. In some part of the document, the word Architect shall also mean the said "Consultant".

(c) ठेकेदार से तात्पर्य सफल वेंडर से है जिसे अनुबंध दिया गया है.
Contractor shall mean the successful Vendor to whom the contract has been awarded.

(d) उप ठेकेदार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे अनुबंध का कुछ कार्य परामर्शदाता और विधिक प्रतिनिधि , उत्तराधिकारी एवं ऐसे समनुदेशित व्यक्ति की लिखित सहमति से उपपट्टे पर दिया गया है.
Subcontractor shall mean the person named in the contract for any part of the work or any person to whom any part of the contract has been sublet with the consent in writing by the Consultant and the legal representative, successors and assigns of such person.

(e) अनुबंध का तात्पर्य एवं इसमें निम्न शामिल हैं/Contract, shall mean and include the following :
   (i) सूचना आमंत्रण निविदा/Notice Inviting Tender
   (ii) निविदा फॉर्म(विधिवत रूप से निविदकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो)/Tender Form (duly signed in by Tenderer)
   (iii) परिभाषा एवं स्पष्टीकरण/Definitions and Interpretation,
   (iv) क्वांटिटि का शिड्यूल/Schedule of quantities,
   (v) सामग्री का शिड्यूल/Schedule of materials,
   (vi) वर्कमेनशिप का शिड्यूल/Schedule of workmanship, and
   (vii) ड्रॉइंग/Drawings

(f) स्थल से तात्पर्य नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को उपयोग हेतु आबंटित ऐसे वास्तविक स्थान से है जिसमें कार्य किया जाना है.
Site, shall mean the actual place in, over or under which work is to be done, allotted by the Employer for contractor's use.

(g) अनुबंध के कार्य से तात्पर्य एवं इसमें अनुबंध के सभी खंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री, मजदूरी, एवं संसाधन शामिल हैं.
Work, of the contract shall mean and include materials, labour and the resources required for the fulfilment of the clauses of the contract.

(h) अनुबंध मूल्य से तात्पर्य यदि कोई औपचारिक करार अथवा कार्य आदेश है तो उसमें संदर्भित की गई राशि से है.

Contract Price, shall mean the sums referred to in the formal agreement, any or the work order.

2. कार्य सौंपना और उपपट्टा/ASSIGNMENT AND SUB-LETTING :

2.1 कार्य सौंपना/**Assignment:**

ठेकेदार अनुबंध अथवा इसका कोई भाग अथवा इसमें कोई भी हित परामर्शदाता/नियोक्ता की बिना अनुमति के कर्या नहीं सौंपेगा.

The contractor shall not assign the contract or any part thereof or any benefit or therein or there under without the written permission of the Consultant/Employer.

2.2 उप-पट्टा/**Sub-letting :**

ठेकेदार अनुबंध का पूरा अथ्वा कोई भी भाग उप-पट्टे पर नहीं देगा. ठेकेदार वास्तुविद एवं नियोक्ता की लिखित अनुमति के बगैर कार्य का कोई भी भाग उप-पट्टे पर नहीं सौंपेगा, यदि अनुमति दी जाती है तो ठेकेदार अनुबंध के अंतर्गत अपनी देयता से मुक्त नहीं हो सकेगा एवं उप-ठेकेदार, उसके एजेंट, कर्मचारी अथवा कर्मकार के कृत्य, त्रुटि अथवा लापरवाही के लिए उसी प्रार से जिम्मेदार होगा जैसे कि यह कृत्य, त्रुटि अथवा लापरवाही ठेकेदार अथवा उसके एजेंट, कर्मचारी अथवा कर्मकार द्वारा की गई है. The Contractor shall not sub-let the whole or part of the contract. The contractor shall not sublet any part of the works without the written consent of the Architect and the Employer and such consent, if given, shall not relieve the contractor from any liability or obligation under the contract and the contractor shall be responsible for the acts, defaults and neglects of the subcontractor, his agents, employees or workmen as fully as if they were the acts, defaults or neglects of the contractor or his agents, servants, or workmen.

3. ड्रॉइंग/DRAWINGS :

3.1 ड्रॉइंग जारी करना/**Issues of Drawings:**

यदि आवश्यक हुआ तो ठेकेदार को कार्य के लिए अनुबंध अवधि में अनुमोदित ड्राइंग जारी की जाएगी एवं ठेकेदार को कार्य निष्पादन के लिए तदनुसार सामग्री की व्यवस्था करना होगी. ठेकेदार को अनुबंध के तहत कार्य निष्पादन अथवा अन्यथा के लिए आवश्यक ड्रॉइंग अथवा विशिष्ट कार्य के लिए पर्याप्त समय देना होगा.

Drawings approved for the work will be issued, if required, to the contractor progressively during the contract period and the contractor shall arrange for the execution of the works and the procurement of materials accordingly. The contractor Shall give adequate notice in writing to the Consultant or his Representative of any further drawings or specification that may be required for the execution of the works or otherwise under the contract.

3.2 ड्रॉइंग की प्रतियां/**Copies of drawings:**

सभी ड्राइंग की एक प्रति ठेकेदार को इन दस्तावेजों के माध्यम के साथ दी जाएगी जो हमेशा स्थल पर नियोक्ता/परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिधि अथवा परामर्शदाता द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण एवं उपयोग के लिए उपलब्ध होगी. ठेकदार रु.200/ प्रति सेट के हिसाब से भुगतान कर अतिरिक्त प्रति प्राप्त कर सकता है.

One copy of all the drawings furnished to the contractor through these contract documents shall be kept at the site and the same shall at all reasonable times be available for inspection and use by the Employer/Consultant or his Representative and by any other person authorized by the Consultant. The contractor may request for additional copies on payment of Rs. 200/- per set.

3.3 और ड्रॉइंग जारी करना एवं अनुदेश/**Issue of further drawings and instructions:**

कार्य के उचित एवं पर्याप्त निष्पादन एवं रखरखाव के लिए आवश्यकतानुसार नियोक्ता/परामर्शदाता को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य के मध्य ड्रॉइंग एवं सुझाव प्रदाय करने की शक्ति एवं प्राधिकार होगा.

The Employer/Consultant shall have full power and authority to supply to the contractor from time to time through his representative, during the progress of the works such further drawings and instructions, if required, as shall be necessary for the purpose of proper and adequate execution and maintenance of the works and the contractor shall carry out and be bound by the same.

3.4 ड्रॉइंग का स्वामित्व/ **Ownership of Drawings:**

ठेकेदार को प्रदाय की गई सभी ड्रॉइंग परामर्शदाता की संपत्ति मानी जाएगी. ठेकेदार अपने और उसके कर्मचारियों एवं उप ठेकेदार की ओर से इस बात से सहमत है कि वह अनुबंध के दौरान अथवा इसके पूर्ण होने के पश्चात् इस अनुबंध के अतिरिक्त इस ड्रॉइंग में निहित सूचनाओं को प्रकट अथवा प्रयोग नहीं करेगा.

All drawings supplied to the contractor are deemed to be the property of the Consultant. The contractor agrees both on the behalf of himself and his employees, and sub-contractors, whether during or after completion of the contract not to divulge or use, except for the purpose of this contract, any information contained in the drawings.

3.5 ठेकदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजना एंव ड्रॉइंग/**Plans and drawings to be submitted by the Contractor:**

अनुबंध के अंतर्गत कार्य पूरा करने के लिए ठेकदार जो अस्थायी कार्य करना चाहता है उसका खाका एवं विवरण. 7 दिन के अंदर परामर्शदाता अपना अनुमोदन/टिप्पणी देगा जो कार्य के लिए पर्याप्त हैं अथवा अपनी असम्मति/टिप्पणी देगा जिसके आधार पर ड्रॉइंग को परिशोधित कर पुन: परामर्शदाता के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई यह सभी योजनाएं एवं ड्रॉइंग जो परामर्शदाता द्वारा अनुमोदित की गई हैं इस अनुबंध का भाग होंगी.

Layout and details of temporary works that the contractor wants to carry out to fulfil his obligation under the contract. Within 7 days the Consultant will give their approval/comments sufficient to proceed with the work or objections/instructions to the contractor based on which the drawings shall be revised and re-submitted for approval by the Consultant. All these plans and drawings submitted by the contractor and approval by the Consultant shall become part of the contract.

4. सामान्य बाध्यता/GENERAL OBLIGATIONS :

4.1 निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व साइट आदि का निरीक्षण/**Inspection of site etc. before submission of tender:**

ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व साइट एवं इसके आस-पास का निरीक्षण एवं परीक्षण करना होगा ताकि वह कार्य की प्रकृति एवं आवश्यक संसाधन तथा जोखिम, आकस्मिकता और अन्य परिस्थितियां जो उसकी निविदा को प्रभावित कर सकती हैं की जानकारी लेकर अपने आपको संतुष्ट कर ले. निविदा स्वीकार

करने के पश्चात् नियोक्ता /परामर्शदाता इस प्रकार के किसी भी कारण से होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

The contractor shall inspect and examine the site and its surroundings, and shall satisfy himself before submitting his tender, as to the nature of the work and nature of the resources required and in general shall obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect his tender. The Employer/Consultant will not be responsible for any loss to the contractor resulting from any such reasons after acceptance of tender.

4.2 निविदा प्रस्तुति के पूर्व स्पष्टीकरण/**Clarification before submitting tenders:**

यदि ठेकेदार को दिए गए कथनह, अथवा क्वांटिटि अथवा मद के समक्ष दिखाई गई यूनिट में किसी भी प्रकार की कमी अथवा त्रुटि ध्यान में आती है तो वह तत्काल यह बात प्राधिकारियों के ध्यान मं लाए एवं निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व स्पष्टीकरण प्राप्त करे. निविदा इस तरह के प्राप्त स्पष्टीकरण पर आधारित होना चाहिए एवं इसका अभिलेख निविदा के आवरण पत्र पर दर्ज होना चाहिए अन्यथा नियोक्ता को बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए निविदा में किए गए कथन अथवा क्वांटिटि अथवा यूनिट के अुनसार ठेकेदार से कार्य कराने का अधिकार होगा.

Should the contractor notice any discrepancy or error in the statement made, or quantities or units shown against items, he shall immediately bring to the notice of the authorities and obtain the clarification before submitting the tender. The tender shall be based on such clarifications received and shall be recorded as such in the covering letter to the tender, failing which the Employer shall have the right to ask the contractor to execute the work according to the statement made or quantities or units shown in the tender, without any compensation.

4.3 पूर्ण किए गए कार्य की दर उद्धरित करना/**Rates quoted for finished work:**

ठेकेदार द्वारा उद्धरित की गई दर ड्रॉइंग, विशिष्टताओं और संबंधित खंडों के अनुसार पूर्ण कार्य की हैं. The rates quoted in the tender by the contractor must be for the finished work as per the drawings, specifications and as per the related clauses.

4.4 कार्य का स्थान/**Location of work:**

जब तक कि मद में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, इसमे वर्णित कार्य किसी भी स्थान अथवा उच्च स्थान पर हो सकता है.

Unless specifically mentioned in the item, the work described therein may be at any location or elevation.

4.5 वैधता/**Validity:**

निविदा खुलने की दिनांक से 90 दिन तक निविदा स्वीकृती के लिए खुली रहेगी.

The tender shall remain open for acceptance for a period of 90 days from the date of opening of the Tender .

4.6 कार्य-आयोजन/ **Programme of work:**

अनुबंध प्राप्त होने के उपरांत ठेकेदार को परामर्शदाता/नियोक्ता को पूरे कार्य को नियोजित रूप से पूरा करने के लिए कार्य करने की आयोजना जिसमें कार्य की प्रक्रिया एवं पद्धति प्रस्तुत करना होगा और जब भी परामर्शदाता/नियोक्ता के प्रतिनिधि को मांग करने पर कार्य करने और निर्माण कार्य करने तथा अस्थायी कार्य जो ठेकेदार प्रदाय, प्रयोग अथवा निर्माण करना चाहता है का लिखित विवरण देना होगा.

अनुमोदन इस प्रकार की प्रस्तुति को परामर्शदाता एवं उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदन ठेकदार अनुबंध के तहत अपने किसी भी कर्तव्य एवं जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा.

Soon after the award of contract, the Contractor shall submit to the Consultant/Employer for his approval a programmed to match with the planned completion of the whole job showing the order of procedure and method in which he proposes to carry out the works and shall whenever required by the Consultant/ Employer representative furnish further detailed programme and particulars in writing of the contractor's arrangements for carrying out the works and of the construction plan and temporary works which the contractor intends to supply, use or construct as the case may be. The submission to and approval, if any, by the Consultant or his Representative of such programmes or particulars shall not relieve the contractor of any of his duties or responsibilities under the contract.

4.7 कर्मकार को हटाना/**Removal of Workmen:**

परामर्शदाता/नियोक्ता को यह स्वतंत्रता है कि वे ठेकदार द्वारा कार्य पर अथवा कार्य निष्पादन अथवा रख-रखाव के लिए रखे किसी व्यक्ति जो परामर्शदाता/नियोक्ता के मत में कदाचार अथवा अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाह अथवा अवांछित है को तत्काल हटाने के लिए कह सकता है एवं ऐसा व्यक्ति परामर्शदाता की बिना लिखित अनुमति के पुन: कार्य पर नहीं रखा जा सकेगा. ठेकेदार कार्य से हटाए गए ऐसे व्यक्ति के स्थान पर बिना किसी विलंब के परामर्शदाता द्वारा अनुमोदित सक्षम व्यक्ति को रखेगा.

The Consultant/Employer shall have liberty to object to and order the contractor to remove forthwith from the works any person, employed by the Contractor in or about the execution or maintenance of the woks who in the opinion of the Consultant/Employer misconduct's himself or is incompetent or negligent in the proper performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Consultant/ Employer to be undesirable and such person shall not be again employed upon the works without the written permission of the Consultant. Any person so removed from the works shall be replaced by the contractor without delay by a competent substitute approved by the Consultant.

4.8 अस्थायी निर्माण/ **Temporary Structure**:

कार्यालयीन कार्य, सामग्री इत्यादि के संग्रहण के लिए ठेकेदार द्वारा अस्थायी ढांचे, शेड का निर्माण मानक स्केच के अनुसार अथवा परामर्शदाता के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार होगा. इस प्रकार के शेड के निर्माण के लिए लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करना होगी.

Construction of site shed, proposed to be temporarily constructed by the contractor for his office work, storage of materials etc., shall confirm to the standard sketch, or to the plan approved by the Consultant. Permission for the construction of such shed shall be obtained in writing.

4.9 संपत्ति एवं व्यक्ति को नुक्सान/**Damage to persons and property:**

निर्माण/संरचना, स्थापना, कार्य के रख-रखाव के दौरान ठेकेदार को अपने सभी कर्मचारियों को हानि और चोट के लिए दावे अथवा किसी व्यक्ति को नुक्सान जो भी हो के लिए और सभी प्रकार के दावे, मांग, कानूनी कार्रवाई, लागत, प्रभार, व्यय इस संबंध में जो कुछ भी हो के लिए क्षतिपूर्ति करेगा एवं नियोक्ता को भी सुरक्षित रखेगा. ठेकेदार अथव उप ठेकेदार द्वारा दिए गए रोजगार में किसी भी कर्मकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को दुर्घटना अथा चोट के परिणा स्वरूप देय दावों लिए नियोक्ता किजम्मेदार नहीं होगा. ठेकदार ऐसे सभी दावे, मांग, कानूनी कार्रवाई, लागत, प्रभार, व्यय इस संबंध में जो कुछ भी हो के लिए क्षतिपूर्ति करेगा एवं नियोक्ता को भी सुरक्षित रखेगा.

The contractor shall indemnify and keep indemnified the employer against all losses and claims for injuries or damages to any person or property whatsoever, which may arise out of or in consequence of the construction/fabrication, installation, fixing and maintenance of works and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges, expenses, whatsoever in respect thereof in relation thereto. The Employer shall not be liable for or in respect of any damages or compensation payable at law in respect or in consequence of any accident or injury to any workmen or other person in the employment of the contractor or his sub-contractors, and the contractor shall indemnify and keep indemnified the Employer against all such damages and compensation and against all claims, demands, proceedings costs, charges and expenses whatsoever in respect thereof or in relation thereto.

4.10 **अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग/Co-operation with other Agencies:**

ठेकदार को जहां तक ठेकेदार से संबद्ध कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त अथवा रखी गई एजेंसियों अथव ठेकेदार के कार्य के लिए सहयोग करना होगा. कार्य का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा साथ साथ अन्य एजेंसियों का कार्य भी चलता रहे.

The contractor shall co-operate with the work of other agencies or contractors that may be employed or engaged by the Employer and as far as it relates to the contractors' work. The sequence of work shall be so arranged that the works of other agencies are also in progress simultaneously.

4.11 भूमिगत सेवाओं का संरक्षण/**Protection of underground services:**

ठेकदार को भूमिगत एवं अन्य सेवा लाइनों जैसे केबल, पानी और सीवर लाइन इत्यादि के संरक्षण के लिए एहतियाती उपाय करना होंगे और इस संबंध में कोई विशेष अनुदेश हैं तो उनका पालन करना होगा. The contractor must take all precautionary measures to protect the underground and other services lines, viz. cables, water and sewer line etc. and observe any specific instructions which may be given in this regard.

4.12 साइट आदेश पुस्तिका/**Site Order Book:**

परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिध के अनुदेशों को अभिलेखित करने के लिए साइट आदेश पुस्तिक रखी जानी होगी जो हर समय उपलब्ध होना चाहिए. ठेकेदार को यह देखना होगा उसमें दिए गए अनुदेशों का पालन हो.

A site order book must be maintained and always be available at site to record the instructions by the Consultant or his representative. The contractor must see that the Instructions therein are properly carried out.

4.13 नियोक्ता से उधार ली गई सामग्री का अभिलेख/ **Record of materials borrowed from the Employer:**

अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा नियोक्ता से उधार ली गई सामग्री विभिन्न सामग्रियो का अभिलेख रखना होगा. परामर्शदाता/नियोक्ता किसी भी समय सामग्री की स्थिति और स्टॉक के सत्यापन की शक्ति होगी.

The contractor shall, maintain an account of different materials borrowed from the Employer, for executing the works under the contract. The Consultant/Employer shall have the power to check the position of materials at all times and verify stocks as and when desired.

4.14 दरों के शिड्यूल एवं विनिर्देशों के अर्थ में विवाद/**Conflict in meaning between schedule of rates**

and specifications:

क्वांटिटि के शिड्यूल को सामग्री और कारीगर के शिड्यूल के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाएगा. यदि इसके अर्थ में विवाद होता है तो क्वांटिटि के शिड्यूल में समतुल्य मद को हमेश अन्य से प्राथमिकता होगी.

The schedule of quantities shall be read in conjunction with the schedule of materials & the schedule of workmanship. In the event of conflict in the meanings therein, the corresponding item in the schedule of quantities shall always have precedence over the others.

4.15 अनुबंध की समान्य शर्तों और नियम शर्तों के अर्थ में विवाद/**Conflict in meaning between general Conditions of contract and the terms and conditions:**

अनुबंध की समान्य एवं विशेष शर्तों में किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में अनुबंध की विशेष शर्तों को सामान्य शर्तों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी.

In case of any inconsistency between the general conditions of contract and the special conditions, the special conditions of contract shall have precedence over the General Conditions.

5. मजदूरी/LABOUR :

5.1 मजदूरी दर/**Labour Rates:**

ठेकदार एवं उपठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य में लगाए गए सभी मजदूरों के लिए ठेकेदार को संविदा मजदूरी (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 एवं कोई भी संशोधन के प्रावधानों का पालन करेगा और राज्य और अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य स्थानीय निकाय के कानून और नियम और निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता व्यवस्था, मजदूरी कल्याण, बोनस , सेवा निवृति लाभ, छंटनी/निकाला जाना क्षतिपूर्ति एवं अन्य सभी मामले जिनमें नियोक्ता की कर्मचारियों के प्रति देयता के संबंध में सभी नियम और कानून का पालन करेगा. उचित मजदूरी, कल्याण और सुरक्षा उपायों, रजिस्टर का रख-रखाव इत्यादि के संबंध में नियम और अन्य सांविधिक दायित्वों को अनुबंध के तहत ठेकेदार का दायित्व माना जाएगा.

In respect of all labour directly or indirectly employed on the works by the contractor or the sub-contractor, the contractor shall comply with the provisions of the contract labour (regulation and abolition) act 1970 minimum wages act 1948, payment of wages act 1936 and any amendments thereof and all legislation and rules of the state and or central government or other local authority, framed from time to time governing the protection of health, sanitary arrangements, wages, welfare and safety for labour employed on building and construction works and for bonus retirement benefits, retrenchment/lay off, compensation and all other matters involving liabilities of employers to employees. The rules and the other statutory obligations with regard to fair wages, welfare and safety measures, maintenance of register etc. will be deemed to be part of the contractor obligation under the contract.

5.2 मजदूर की दुर्घटना की रिपोटिंग/**Reporting accident of labour:**

ठेकेदार कार्य के लिए नियुक्त किए गए सभी कर्मचारी अथवा कर्मकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और उनकी दुर्घटना के सभी मामलों की रिपोर्ट नियमानुसार संबंधित प्राधिकारियों और परामर्शदाता/नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को करेगा और दुर्घटना के पीड़ित को सभी संभावित सहायता प्रदान करेगा.

The contractor shall be responsible for the safety of all employee and/or workers employed or engaged by him on and in connection with the works and shall forthwith report all cases of

accident to and of them, however caused and whenever occurring to the authorities concerned required as per law and to the Consultant/employer or his representative and shall make every arrangement to render all possible assistance and aid to the victim of the accident.

5.3 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधान/**Provision of workman's compensation act:**

ठेकेदार कार्य के लिए नियुक्त कर्मकार के संबंध में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अथवा ऐसा कोई नियम अथवा समय समय पर लागू नियम के प्रावधानों तहत सभी प्रकार के दावों से नियोक्ता को सुरक्षित रखेगा. कथित अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक मामले में अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियोक्ता ठेकेदार द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मकार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य है एवं नियोक्ता कथित अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के नियोक्ता इस प्रकार से भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि को अनुबंध राशि से वसूल करेगा. कानून के तहत नियोक्ता को उपलब्ध अन्य उपायों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के नियोक्ता ऐसी राशि अथवा इसका कोई भाग प्रतिभूति जमा अथवा नियोक्ता द्वारा इस अनुबंध अथवा अन्यथा से राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र होगा.ठेकेदार के इस आशय के लिखित अनुरोध और उसके द्वारा ऐसे दावे जिनको चुनौती देने पर नियोक्ता उत्तरदायी हो सकता है के प्रति नियोक्ता को पूरी लागत की सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त नियोक्ता कथित अधिनियम के तहत किसी भी दावे की चुनौती के लिए बाध्य नहीं होगा.

The contractor shall at all times indemnify and keep indemnified the employer against all claims for compensation under the provisions of the workman's compensation act 1923 or any other law or the time being in force by or in respect of any work man employed in connection there with. In every case in which by virtue of the provisions of the said act, the employer is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor in executing the works, the employer shall recover from the contract the amount of the compensation so paid and without prejudice to the rights of the employers under the said act. The employer shall be at liberty to recover such amount or ant part thereof by deducting it form the security deposit or from any due by the employer to the contractor whether under this contract or otherwise without prejudice to any other remedy that may be available to the employer in law. The Employer shall not be bound to contest any claim made against it under the said act accept on the written request of the contractor and upon his giving to the employer full security for all costs for which the employer might become liable in consequence of contesting such claim.

5.4 कर्मकार की दुर्घटना अथवा चोट/**Accident or injury of workmen:**

कार्य के लिए ठेकदार अथवा उसके उप ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्ति की दुर्घटना और चोट कके संबंध में कानून के अंतर्गत देय हर्जाना अथवा क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा. ठेकदार को इस प्रकार के सभी हर्जाने और क्षतिपूर्ति और सीज़ी दावों के विसरुद्ध, मांग, कानूनी कार्रवाई की लागत, प्रभार एवं व्यय जो भी इस संबंध में हो के लिए क्षतिपूर्ति करना और नियोक्ता को सुरक्षित रखना होगा.

The employer shall not be liable for or in respect of any damages or compensation payable in law in respect or in consequence of any accident or injury to any workmen or other person in the employment of the contractor or his subcontractor, and the contractor shall indemnify and keep indemnified the employer against all such damages and compensation and against all claims, demands, proceedings cost charges and expenses whatsoever in respect thereof or in relation thereto.

5.5 **मजदूर की आयु/Age limit of labour:**

मजदूर को रोजगार देने के लिए आयु सीमा विद्यमान श्रम कानून के तहत होना चाहिए.

The age limit for employment of labour shall be in strict accordance with the existing labour legislation's.

6 **सामग्री परीक्षण एवं कारीगरी/MATERIAL TESTS AND WORKMANSHIP:**

6.1 **सामग्री , कारीगरी की गुणवत्ता एवं परीक्षण/Quality of materials, workmanship and tests:**

सभी सामग्री एवं कारीगरी अनुबंध में वर्णन और परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार होगी समय समय पर परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिधि के निर्दिशानुसार निर्माण की साइट अथवा संरचना की साइट, सभी साइट अथवा ऐसी साइट में से काई एक पर परीक्षण के अधीन होंगी. ठेकेदार को परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिधि की आवश्यकतानुसार किसी कार्य की माप,, गुणवत्ता का परीक्षण, वजन, अथवा प्रयुक्त सामग्री की मात्रा की जांच के लिए उपकरण, मशीन, मजदूर तथा सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगा और कार्य आरंभ होने के पूर्व सामग्री के अनुमोदन के लिए नमूनों की आपूर्ति करेगा.

All materials and workmanship shall strictly be of the respective kinds described in the contract and in accordance with the Consultant or his representatives instructions and shall be subjected from time to time to such tests as the Consultant or his representative may direct at the place of manufacturer or fabrication or on the site all or any of such places. The contractor shall provide such assistance instruments, machines, labour and materials, as are normally required for examining measuring and testing any work and the quality, weight or quantity of any material used and shall supply samples of materials before incorporation in the works for approval as may be required by the Consultant or his representative.

6.2 **कार्य-नमूने का निर्माण/ Construction of prototypes or samples of work:**

यदि आवश्यक होगा तो ठेकदार को परामर्शदाता के निदेशानुसार नमूने का निर्माण करना होगा. परामर्शदाता/नियोक्ता द्वारा नमूने के अनुमोदन के पश्चात यह अंतिम निर्माण/संरचना के लिए मानक के रूप में रहेगा.

The contractor shall construct prototypes or samples, if required, of work as laid down in the contract or as instructed by the Consultant. Such prototypes or samples of work, after approval by the Consultant/ Employer shall serve as the standards to be achieved in the final construction/fabrication.

6.3 **नमूने की लागत/Cost of samples:**

ठेकदार को सभी नमूनों की आपूर्ति अपनी लागत पर करना होगी.

All samples shall be supplied by the contractor at his own cost.

6.4 **परीक्षण की लागत/Cost of test:**

विनिर्देशानुसार किसी भी प्रकार के परीक्षण की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी और ठेकेदार को परामर्शदाता/नियोक्ता की आवश्यकतानुसार नमने की व्यवस्था करना होगी.

The cost of making any test as per specifications shall be borne by the contractor and contractor should arrange for all requirements to take the samples by Consultant/Employer.

6.5 **संचालन का निरीक्षण/Inspection of operation:**

परामर्शदाता/नियोक्ता अथवा उनका प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कार्य और साइट और सभी वर्कशॉप अथवा स्थान जहां कार्य किया जा रहा है अथवा जहां सामग्री,

निर्मित वस्तुएं अथवा मशीन प्राप्त की जा रही हैं का निरीक्षण कर सकता है एवं ठेकेदार को इस प्रकार के निरीक्षण के लिए सभी सहयोग औरसुविधा उपलब्ध कराना होगी.

The Consultant /Employer or their representative or any person authorized by him shall at all times have access to the works and to the site and to all workshops and places where work is being prepared or where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility for and every assistance in or in obtaining the, right to such access.

6.6 कार्य समापन के पूर्व परीक्षण/**Examination of work before covering up :**

परामर्शदाता/नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के पूर्वानुमोदन के कोई भी कार्य का समापन नही किया जाएगा और ठेकेदार को परामर्शदाता/नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को कोई भी कार्य जिसका समापन किया जाना है अथवा की माप एवं उसके उपर स्थायी निर्माण के पूर्व नींव के निरीक्षण का अवसर प्रदान करना होगा. इस प्रकार का कोई भी कार्य अथवा नींव तैयार है अथवा तैयार होने वाली है के परीक्षण हेतु ठेकदार को को परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिधि को इस आशय की सूचना देनी होगी और परामर्शदाता का प्रतिनिधि बिना किसी अनुचित विलंब के जब जक कि वह अनावश्यक नहीं मानता है, ठेकेदार को तदनुससार सूचित करेगा और इस प्रकार के कार्य की माप और परीक्षण एवं ऐसी नींव का परीक्षण करेगा.

No work shall be covered up or made out of view without the approval of the Consultant/Employer or their representative and the contractor shall afford full opportunity to the Consultant or his representative to examine and measure any work which is about to be covered up or put out of view and to examine foundations before permanent work is placed thereon. The contractor shall give due notice to the Consultant, representative wherever any such work or foundations is or are ready or about to be ready for examination and the Consultant's representative shall without unreasonable delay, unless he considers it unnecessary and advises the contractor accordingly, attend for the purpose of examining and measuring such work or of examining such foundations.

6.7 **उजागर करना और खोलना/Uncovering and making openings:**

ठेकदार को कार्य के किसी एक भाग अथवा भागों को परामर्शदाता/नियोक्ता के कहने पर समय समय पर खोलना होगा. परामर्शदाता/नियोक्ता के आवश्यक निरीक्षण के पश्चात परामर्शदाता की संतुष्टिनुसार ठेकेदार इन भागों की पुनर्स्थापना और ठीक करेगा. यदि खंड 6.5 एवं 6.6 केक विधिवत अनुपालन तथा आवश्यकतानुसार कायर्स के पश्चात कार्य का समापन किया गया है तो ऐसे भाग को उजागर करने, पुनर्स्थापना और ठीक करने का व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा. किंतु, अन्य सभी मामलों में ऐसा व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा एवं नियोक्ता को कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के नियोक्ता द्वारा उसे देय अथवा देय होने वाली राशि से कटौती कर वसूला जाएगा.

The Contractor shall uncover any part or parts of the works or make openings in, or through the same as the Consultant may ask from time to time. After required inspection by the consultant/employer, the contractor shall reinstate and make good such part or parts to the satisfaction of the Consultant. If any such part have been covered up or put out of view after due compliance with the requirements of clause 6.5 & 6.6 hereof and are found to be executed in accordance with the contract, the expenses of uncovering making openings in or through, reinstating and making good, the same shall be borne by the Employer, but in any other case all such expenses shall be borne by the contractor and shall be recoverable from him by the

Employer and deducted by the Employer from any moneys due or which may become due to the contractor, without prejudice to any other remedy that may be available to the Employer in law.

6.8 **अनुपयुक्त कार्य एवं सामग्री को हटाना/Removal of improper work and materials:**

परामर्शदाता/नियोक्ता अथवा उाके प्रतिनिधि को कार्य के दौरान निम्नानुसार लिखित आदेश देने की शक्ति होगी:

The Consultant/Employer or his representative shall during the progress of the works have power to order in writing from time to time.

(a) परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिधि के मत में ऐसी कोई भी सामग्री जो अनुबंध के अनुसार नहीं है को आदेश में विनिर्देशित समय में साइट से हटाने के संबंध में.

for the removal from the site within the time specified in the order of any material which in the opinion of the Consultant or his representative are not in accordance with the contract.

(b) उचित एवं उपयुक्त समाग्री प्रतिसथापना कें संबंध में.

for the substitution of proper and suitable materials.

(c) परामर्शदाता अथवा उसके प्रतिनिधि के मत में कार्य में प्रयुक्त सामग्री अथवा कारीगरी अनुबंध के अनुसार न होने के कारण कार्य को हटाना एवं पुनर्निष्पादित(पूर्व परीक्षण के बावजूद अथवा इसलिए अंतरिम भुगतान हेतु) करने के संबंध में

for the removal and proper re-execution (not withstanding a previous test thereof or interim payment therefore) of a work which in respect of materials or workmanship is not in the opinion of the Consultant or his representative in accordance with the contract.

6.9 **कार्य का निलंबन/Suspension of work:**

नियोक्ता की आवश्यकतानुसार ठेकेदार को नियोक्ता के लिखित आदेश पर कार्य अथवा कार्य के किसी भाग को ऐसे समय अथवा समय तक के लिए निलंबित करना होगा एवं उसे ऐसे निलंबन के दौरान नियोक्ता के मत में आवश्यकतानुसार कार्य को उपयुक्त रूप से सुरक्षित रखना होगा.

The contractor shall, on the written order of the Employer suspend the progress of the works or any part thereof for such time or times and in such manner as the Employer may consider necessary and shall, during such suspension, properly and secure the work. So far as is necessary in the opinion of the Employer.

7 **कार्य पूर्ण हाने का समय एवं अधिग्रहण/TIME OF COMPLETION AND TAKING OVER :**

7.1 **साइट एवं इसका अधिग्रहण/Site & its Possession:**

अनुबंध में साइट का अधिग्रहण ठेकेदार को समय समय पर दिए गए भाग के अधिग्रहण की सीमा का निर्धारण है एवं ऐसे भाग जिस पर कार्य निष्पादित होना है अनुबंध की आवश्यकता के अधीन उपलब्ध होंगे. परामर्शदाता को आवश्यकतानुसासर साइट का कब्जा ठेकेदार को देना होगा ताकि ठेकेदार ऐसे उचित प्रस्ताव के अनुसार जैंसे कि वह बैंक को लिखित में दे रहा है के अनुसार निर्माण कायर्स आरंभ करे सके.

Possession of site said in far the contract may prescribe the extent of portions of the site of which the contractor is to be given possession from time to time and the order in which such portions will be available to him and subject to any requirement in the contract as to the order in which the work shall be executed, the Consultant shall give to the contractor possession of so

such of the site as may be required to enable the contractor to commence and proceed with the construction of the works in accordance with such reasonable proposals of the contractor as he will make in writing to the bank.

7.2 **कार्य पूरा होने का समय/Time of completion:**

कार्य निर्धारित अवधि अथवा खंड 7.3 के अनुसार विस्तारित अवधि के अंदर पूरा करना होगा.

The whole of the works shall be completed within the time stipulated or within such extended time as has been allowed under clause 7.3

7.3 **कार्य पूरा करने के लिए समयावधि में विस्तार/Extension of time of Completion:**

किसी भी तरह के अतिरिक्त कार्य अथवा कार्य के दायरे में परिवर्तन अथवा किसी भी अन्य प्रकार से परिस्थितियां जो ठेकेदार के कार्य पूरा करने की अवधि के विस्तार को सही ठहराती हैं, परामर्शदाता ऐसे विस्तार को निर्धारित कर ठेकेदार को लिखित में सूचित करेगा. बशर्ते परामर्शदाता अतिरिक्त कार्य अथवा विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि ठेकेदार द्वारा ऐस कार्य आरंभ होने अथवा विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने के 28 दिन के अंदर परामर्शदाता को पूरा एवं विस्तृत विवरण जिसमें कि अवधि विस्तार की औचित्यता का उल्लेख किया गया है पस्तुत नहीं कर देता.

Should the amount of extra or additional work of any kind or changes-in scope of work or other special circumstance of any kind whatsoever which may occur, be such as fairly to Justify the contractors' request for extension of time for the completion of the works the Consultant shall determine the amount of such extension and shall intimate the contractor in writing. Provided that the Consultant is not bound to take into account any extra or additional work or other special circumstances unless the contractor has within 28 days, after such work has been commenced or such circumstances have arisen, submitted to the Consultant full and detailed particular of any request to the extension of time to which he may consider to be justified.

7.4 **हड़ताल, आग इत्यादि के कारण अवधि विस्तार/Extension of completion time due to strike, fire etc.:**

यदि परामर्शदाता/नियोक्ता के मत में ठेकेदार के नियंत्रण से परे हड़ताल, आग के कारण, न टाले जा सकने वाले हादसे इत्यादि की वजह से विलंब हो रहा है तो परामर्शदाता समयावधि मे विस्तार कर सकता है और उसे यह लिखित में सूचित करना होगा. ऐसे विस्तार के लिए ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा.

If in the opinion of the Consultant /Employer the progress of the work has at any-time been delayed by strikes, fire inclement unavoidable casualties etc. beyond the control of the contractor, then the time of completion of the work may be extended for such reasonable time as the Consultant may decide and this will be indicated in writing. No extra payment will be given to the contractor for such extensions.

7.5 **कार्य को पूरा माना जाना/Work treated as complete:**

कार्य को जब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि

The works shall not be treated as complete until

(a) साइट से सभी सामग्री(जो ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई है) शेड इत्यादि साइट से हटा नहीं लिए जाते हैं और परामर्शदाता/नियोक्ता ठेकेदार के कार्य से संतुष्ट नहीं हो जाता है.

The site is clear from all materials (brought to site by contractor),site shed etc. and the Consultant/Employer is satisfied with the job done by the contractor.

(b) ठेकेदार द्वारा नियोक्ता से उधार ली गई सामग्री का समामेलन विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है.
The contractor has submitted the reconciliation statement regarding the material borrowed from the Employer.

(c) नियोक्ता से लिए गए सभी उपकरण, संयंत्र ठेकेदार द्वारा वापस न कर दिए गए हों.
All equipment tools, plants etc. taken from the Employer have been returned by the contractor.

(d) कार्य निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा लिए गए पानी, बिजली आदि के सभी कनेक्शन हटा न दिए गए हों.
All power and water supply connections taken for the execution of the works have been disconnected by the contractor.

कार्य में ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी प्रकार की क्षति को संतोषजनक रूप से सुधार नहीं दिया जाता है.
Rectification of any damage done by the contractor to the work executed has been satisfactorily done by the Contractor.

7.6 **कब्जा लेना/Taken Over:**

सभी कार्य पूरा होने अथवा कार्य के महत्तवपूर्ण भाग के पूरा होने पर ठेकेदार परामर्शदाता को सूचना देगा, जो सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर किसी भी महत्तवपूर्ण भाग के उसकी संतुष्टिनुसार पूरा होने और उसका कब्जा लेने अथवा नियोक्ता द्वारा उपयोग करने के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और इन्कार करने पर इसके कारण लिखित में सूचित करेगा. जब कार्य के किसी भी भाग कके लिए इस आशय का प्रमाध्ण-पत्र जारी किया जाता है ऐसे भाग को कब्जे के लिए पूरा माना जाएगा और ऐसे भाग के रख-रखाव की अवधि की गणना ऐसे भाग के कार्य पूरा होने की प्रमाणित दिनांक से की जाएगी. कार्य पूरा अथवा इसका भाग तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि खंड 7.5 के सभी प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो जाता है.

After completion of works or any substantial part of the works before the completion of the whole of the works, the contractor shall notify the Consultant in writing, who within 15 days of receipt of the said notice shall give such certificate with respect to any substantial part of the works which has been both completed to the satisfaction of the Consultant and occupied or used by the Employer or refuse to issue the same stating the reasons thereof in writing. When any such certificate is given in respect of a part of the works, such part shall be considered as completed for the purpose of taking over and computation of the period of maintenance of such part that is such period shall commence from the date of completion of such part of the works as certified. The works in whole or part shall not, however, be treated as completed, for the purpose of other relevant clauses hereof unless and until the provisions of Clause 7.5 hereof are fully complied with.

7.7 **रख-रखाव/Maintenance:**

ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने के तत्काल पश्चात 6 माह की अवधि के लिए होगा. ठेकेदार अथवा उसके उप ठेकेदार जिसे नियोक्ता द्वारा (खंड 2.1 एवं 2.2) के अंतर्गत अनुमोदित किया है के निर्माण अथवा

त्रुटिपूर्ण सामग्री अथवा करीगरी अथवा अन्य किसी कारण से हुए दोषपूर्ण कार्य को ठेकेदार को सुधारना/पुन:निर्माण करना होगा. यदि अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार को दोष पूर्ण भाग के लिए सुधार/पुन:निर्माण करना आवश्यक है तो इस शर्त के प्रावधान इस तरह बदले/नवीनीकृत भाग पर लागू होंगे तथा इस प्रकार से परिवर्तन अथवा नवीनीकरण की दिनांक से तीन माह अथवा उपर्युक्तानुसार उल्लिखित 6 माह की अवधि जो भी बाद में हो तक लागू रहेंगे. यदि कोई भी दोष उचित समय में सुधारा नहीं जाता है तो नियोक्ता अन्य किसी एजेंसी से सुधार कराएगा एवं इस पर व्यय की गई राशि ठेकेदार को अंतिम रूप से दिए जाने वाले भुगातान में से काटी जाएगी. रख-रखाव अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात नियोक्ता अंतिम प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसमे ठेकेदार द्वारा आपने दायित्वों को पूरा किए जाने का उल्लेख होगा.

For a period of Six months commencing immediately after completion of the work by Contractor, the contractor's liability shall be to replace the defective parts rectify/reconstruct the defective work that may develop of his own construction or those of his sub-contractors approved by the Employer (under Clause 2.1 and 2.2) arising solely form faulty material or workmanship or for any other reason. If it is necessary for the contractor to rectify/reconstruct any defective portions of the work under the contract, the provision of this condition shall apply to the portions of work so replaced or renewed until the expiration of three months from the date of such replacement or renewal or until the end of the above mentioned period of six months, whichever may be later. If any defects be not remedied within a reasonable time the Employer may proceed to get the required rectification, repair done by other agencies and deduct the expense from the final payment due to the contractor. Immediately upon expiry of the maintenance period the Employer shall issue a final certificate indicating that the contractor has completed his obligation under the contract.

8. अनुबंध का समापन/TERMINATION OF CONTRACT :

8.1 अनुबंध का समापन/Termination of Contract :

यदि ठेकेदार अनुबंध छोड़ देता है अथवा त्त्परता से कार्य नहीं कर रहा है अथवा किसी विषेष मद के लिए कार्य की गति धीमी है अथवा वह अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है, अनुबंध के तहत आपने दायित्वों को पूरा करने की उपेक्षा कर रहा है, तब नियोक्ता के लिए तत्काल प्रभाव से लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त करना और शेष कार्य अन्य एजेंसियों कार्य कराना विधि सम्मत होगा. कायर्स निष्पादन के दौरान यदि ठेकेदार अवमानक कार्य किया है तो उसे लिखित में उसे हटाने और पुन: करने केलिए कहा जाएगा व इसका व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा. यदि ठेकेदार उपर्युक्त अनुदेशों के तत्काल अनुपालन में असफल रहता है तो नियोक्ता उपर्युक्त सुधार कार्य अन्य एजेंसी अथवा एजेंसियों के माध्यम से कराएगा. इसी प्रकार यदि ठेकेदार की किसी एक विशेष मद अथवा कार्य की मदों पर गति धीमी है तो नियोक्ता को ठेकदार की लागत और जोखिम पर अपने विभाग सहित इन मदों को अन्य एजेंसी अथवा एजेंसियों के माध्यम से कराने का अधिकार होगा.

If the contractor has abandoned the contract or has failed to proceed with the work with due diligence or the progress on any particular item is slow or he has failed to execute the work in accordance with the terms and conditions of the contract, is persistently or flagrantly neglecting to carry out his obligation under the contract, then it shall be lawful for the Employer to terminate the contract forthwith under written notice and to proceed with the balance of the work through any other agencies. During the course of execution of the job, in case the contractor has done any substandard work, he shall be asked in writing to dismantle and re-do the same at his own expenses. If the contractor fails to comply with the above instructions immediately, then the

Employer shall proceed with the above rectification work, through another agency or agencies. Similarly, if the contractor goes slow on any particular item or items of work, the Employer shall have the right to execute this item or items through another agency or agencies, including its own department at the cost and risk of the Contractor.

8.2 **ठेकेदार को प्रभारित कराना/Back charging the contractor:**

अतिरिक्त कार्य अथवा शेष कार्य पूरा करने अथवा उपर्युक्तानुसार उल्लिखित सुधार कार्य अपने विभाग सहित अन्य एजेंसी अथवा एजेंसियों के माध्यम से कराने के लिए अतिरिक्त लागत अथवा व्यय ठेकेदार के खाता को सनाम किए जाएंगे और नियोक्ता के पास कानून में उपलब्ध अन्य उपायों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ठेकेदार को देय अथवा देय होने वाली राशि से वसूल किए जाएंगे.

Extra cost and expenses incurred for completing the work or balance work or carrying out the rectification of any work as mentioned above through another agency or agencies including its own department shall be debited to contractors' account and shall be recovered from any money due to or that may become due to the contractor without prejudice to any other remedy that may be available to the Employer in law.

9. परिवर्तन, वृद्धि एवं चूक/ALTERATIONS, ADDITIONS AND OMISSIONS :

9.1 परिवर्तन/ Variation :

परामर्शदाता/नियोक्ता यदि एक गुणवत्ता अथवा कार्य की सभी क्वांटिटि अथवा उसके कोई एक भाग और उस प्रयोजन के लिए, अथवा अन्य कोई कारण से अपने मतानुसार परिवर्तन करना चाहता है तो उसके पास ठेकेदार को इस आदेश देने की शक्ति होगी एवं ठेकेदार को नियोक्ता के लिए इसे कानूनन करना होगा

The Consultant/Employer shall be entitled to make any variation in one quality or in all the quantities of the works or any part thereof that may, in his opinion, be necessary and for that purpose, or if for any other reason it shall, in his opinion be desirable, he shall have power to order the contractor to do and the contractor shall do the same for Employer in law.

(a) किसी भी कार्य के लिए अनुबंध में शामिल क्वांटिटि को बढ़ाना और घटाना
Increase or decrease the quantity of any work included in the contract.

(b) ऐसे किसी कार्य को छोड़ना
Omit any such work.

(c) इस प्रकार के कार्य की गुणवत्ता और प्रवकृति में परिवर्तन करना.
Change the character or quality of kind of any such work.

(d) कार्य के किसी भाग का स्तर, रेखा, स्थितिएवं आयसाम में परिवर्तन करना और
Change the levels, lines, position and dimensions of any part of the works and,

(e) कार्य पूरा करने के लिए यदि आवश्यक अतिरिक्त कार्य निष्पादित किया जाता है तो ऐस कोई भी परिवर्तन किसी अनुबंध को आरंभ अथवा अमान्य नहीं करेगा. किंतु, यदि मूल्य कोई है तो ऐसे सभी परिवर्तनों को अनुबंध के मूल्य की गणना में लिया जाएगा.
Execute additional work of any kind necessary for the completion of the works , and no such variation shall in any way initiate or invalidate the contract but the value, if any, of all such variations shall be taken into account in ascertaining the amount of the Contract Price.

9.2 परिवर्तन के लिए आदेश लिखित में होना चाहिए/**Order for variations to be in writing**

नियोक्ता से लिखित में प्राप्त किये बिना एवं परामर्शदाता से लिखित में आदेश मिले बिना ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा, बशर्ते किसी भी वस्तु की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए लिखित आदेश की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ इस प्रकार की वृद्धि या कमी, जो परिमात्राओं की सूची के अनुमान से वास्तविक बढ़ी या घटी परिमात्रा का परिणाम है. ऐसे मामलों में ठेकेदार को स्वीकृत यूनिट वस्तु दरों पर परामर्शदाता से प्रमाणित वास्तविक मात्रा के कार्य के लिए भुगतान किया जायेगा एवं कोई भी मुआवजा प्रदान नहीं किया जायेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किन्हीं कारणों से परामर्शदाता ऐसा समझता है कि किसी आदेश को मौखिक रूप से देना उचित है तो ठेकेदार को इस प्रकार के आदेश का पालन करना होगा . लेकिन परामर्शदाता द्वारा दिए गए इस प्रकार के मौखिक आदेश की बाद में लिखित में पुष्टि होनी चाहिए, जो इस खंड के अर्थ में एक लिखित आदेश के रूप में मानी जायेगी.

No such variation shall be made by the contractor without receiving in writing from the Employer or an order in writing from the Consultant, provided that no order in writing shall be required for increase or decrease in the quantity of any item of work where such increase or decrease is the result of the actual quantities exceeding or being less than those stated in the schedule of quantities which are estimates. In such cases, the, contractor shall be paid only for the actual quantity of work done as certified by the Consultant at the accepted unit item rates and no compensation shall be allowed. Provided also that if for any reason the Consultant shall consider it desirable to give any such order verbally, the contractor shall comply with such order but it must be followed by confirmation in writing of such verbal order given by the Consultant, which shall be deemed to be an order in writing within the meaning of this Clause.

9.3 अतिरिक्त मद **/Extra Items:**

यदि ठेकेदार को ऐसी किसी मद / निर्माण/संरचना कार्य के दौरान निष्पादित करने के लिए कहा गया है जिसके लिए निविदा में उनके द्वारा उसकी दरों को उद्धृत नहीं किया गया है, तो उसे ऐसे कार्य करने होंगे। इस तरह के अतिरिक्त काम के लिए दरें नियोक्ता द्वारा निम्नानुसार, वरीयता के क्रम में निर्धारित की जाएंगी।

If the contractor has been asked to execute any such item/work in course of construction/fabrication for which the tender rates have not been quoted by him, he must undertake such work. The rates for such additional work shall be determined by the employer on the following lines, in the order of preference.

(a) निविदा में कार्य के लिए इस प्रकार की मदों के लिए उद्धृत दरों में से किसी एक से निर्धारित की जाएगी
The rates to be derived from any one of the quoted rates for similar items of work in the tender.

(b) ऐसी मदें में शामिल मजदूरी औरसामग्री के विश्लेषण और वास्तविक प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए. इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार उसके द्वारा प्रस्तावित दरों का विस्तृत विश्लेषण सम्बन्धित वाउचरों के साथ वास्तुविद को प्रस्तुत करेगा. जबकि अतिरिक्त मदों का मूल्य निर्धारित करते समय ठेकेदार के बंधे व्यय, लाभ आक्र प्रतिष्ठान व्यय किा मिलाकर लागत का 15% भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा
Rates based on actual observation and/or analysis of labour and materials involved in such items. For this purpose the contractor shall submit to the Architect detailed analysis of the rate proposed by the contractor supported by relevant vouchers. While fixing rates for extra items an allowance of 15% of the cost will be provided towards
Contractor's overheads, profits, and establishments taken together.

9.4 मूल मदों पर छूट/अतिरिक्त/**Rebate/extra over original item :**

यदि निविदा की किसी विशेष मद की विशिष्टता में भिन्नता होती है, तो उद्धृत दर पर छूट / अतिरिक्त राशि आम तौर पर निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

If there is a deviation in the specification of particular item of the tender, rebate/extra over the quoted rate shall be generally derived as follows:

शिड्यूल में शामिल नहीं की गई मदों लिए ऐसी मदे में शामिल मजदूरी एवं सामग्री के प्रेक्षण और विश्लेषण के आधार पर छूट/अतिरिक्त निर्धारित की जाएगी.

For items not covered in the schedule, rebate/extra shall be derived based on observation /analysis of labour and materials involved in such items.

9.5 अनौपचारिक प्रकृति की मद/**Items of Ad-hoc nature:**

ठेकेदार आवश्यक सामग्री लेकर आनौपचारिक प्रकृति के मार्य जो अनुबध निष्पादन के दौरान उत्पन्न हुए है को विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए आवश्यक उपकरणों के माध्यम से करेगा. कार्य की वास्तविक परिमात्रा का प्रमाणीकरण एवं निपटान परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा और इसके भुगतान का आधार वास्तविक लागत के साथ बंधे हुए व्यय, लाभ एवं प्रतिस्थापना की लागत का 15 प्रतिशत को जोड़कर होगा.

The contractor shall procure necessary materials and carry out miscellaneous work of ad-hoc nature specifically provided with necessary tools and tackles as may arise during execution of the contract. The actual quantum of work shall be certified and settled by the Consultant and payment for the same shall be fixed on the basis of actual cost plus overheads, profits and establishments taken at 15% of the cost.

9.6 दावे/**Claims:**

ठेकेदार परामर्शदाता के आदेश पर किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय का दावा, जिसके लिए वह स्वयं को हकदार मानता है के लिए परामर्शदाता/नियोक्ता के प्रतिनिधि को विश्लेषण सहित विस्तृत विवरण, ऐसे कार्य के पूरा होने के एक माह के अंदर प्रस्तुत करेगा, ऐसे कार्य जो इस विवरण में शामिल नहीं किए गए हैं के भुगतान के लिए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा. ठेकेदार इस शर्त के अनुपालन में विफल रहने के बावजूद भी परामर्शदाता/नियोक्ता इस प्रकार द्वारा किए गए कार्य के भुगतान अधिकृत करने का हकदार होगा, यदि ठेकेदार ने व्यवहारिक अवसर पर परमर्शदाता/नियोक्ता को ऐसे कार्य के लिए वह दावा करना चाहता है की सूचना लिखित में दी हैThe contractor shall send to the Consultant's/Employer's representative an account, giving full and detailed particulars with proper analysis, of all claims for any additional expenses to which the contractor may consider himself is entitled and of all extra work ordered by the Consultant, which he has executed, within one month of execution of such work, and no claim for payment for any such work will be considered which has not been included in such particulars. Provided a ways that the Consultant/Employer shall be entitled to authorize payment to be made for any such work notwithstanding the contractors' failure to comply with this condition, if the contractor has at the earliest practicable opportunity notified the Consultant/Employer in writing that he intends to make a claim for such work.

10. माप/MEASURMENTS :

10.1 क्वांटिटि/Quantities :

क्वांटिटि के शिड्यूल में दर्शाई गई क्वांटिटि अनुमानित क्वांटिटि है. अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्य निष्पादन के लिए इन्हें सही एवं वास्तविक क्वांटिटि के रूप में न लिया जाए.

The quantities set out in the schedule of quantities are the estimated quantities of the work. They are not to be taken as the actual and correct quantities, of the works, to be executed by the contractor in fulfilment of his obligation under the contract.

कार्य जिसे मापा जाना है/Works to be measured: परामर्शदाता यदि अन्यथा न कहा गया हो को छोड़कर , अनुबंध के संदर्भ में मूल्य निर्धारित करेगा। जब उसे कायर्स के किसी भी भाग या कार्यों के कुछ भागों को मापने की आवश्यकता होगी तो वह ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस देगा , जो तत्काल उपस्थित हो अथवा परामर्शदाता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस तरह के माप में सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट भेजप्रेगा और उनमें से किसी को भी आवश्यक सभी विवरण प्रस्तुत करेगा. यदि ठेकेदार इसकार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है अथवा एजेंट को नहीं भेजता है तो परामर्शदाता द्वारा ली गई अथवा अनुमोदित माप कार्य की अनुबंध माप माना जाएगा. यदि ठेकेदार इस तरह के अभिलेखों और ड्रॉइंगके परीक्षण और सहमत होने में भाग नहीं लेता है, तो वे सही माने जाएगे. जब तक कि ठेकेदार इस तरह की परीक्षा के चौदह दिनों के भीतर नहीं हों परामर्शदाता के निर्णय के लिए परामर्शदाता के प्रतिनिधि, उन मामलों के लिए लिखित रूप में नोटिस, जिसमें ऐसे रिकॉर्ड और ड्रॉइंग जिसे वह गलत होने का दावा करता है.

The Consultant shall, except as otherwise stated, ascertain and determine by measurement the value in terms of the contract. He shall when he requires any part or parts of the works to be measured, give notice to the contractor's authorized agent or representative, who shall forthwith attend or send a qualified agent to assist the Consultant or his representative in making such measurement and shall furnish all particulars required by either of them. Should the contractor not attend or neglect or omit to such agent, then the measurement made by the Consultant or approved by him, shall be taken to be the contract measurement of the work. If the contractor does not so attend to examine and agree such records and drawings they shall be taken to be correct. If, after examination of such records and drawings, the contractor does not agree to the same or does not sign the same as agreed, they shall nevertheless be taken to be correct, unless the contractor shall, within fourteen days of such examination, lodge with the Consultant's representative for decision by the Consultant, notice in writing of the respects in which such records and drawings are claimed by him to be incorrect.

10.2 माप का तरीका/Method of measurement:

कार्य की माप किसी भी सामान्य अथवा स्थानीय प्रथा होने के बावजूद आईएस -1200 (सभी भागों) के अनुसार, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा विशेष रूप वर्णन अथवा निर्दिष्ट न किया गया हो.

The works shall be measured net in accordance to IS-1200 (all parts), notwithstanding any general or local custom, except where otherwise specifically described or prescribed in the contract.

11. विवाद का निपटान/SETTLEMENT OF DESPUTES :

11.1 मामलों का निपटान/ Matter to be settled :

किसी भी प्रकार के सभी विवाद एवं मतांतर जो भी हों और इस अनुबंध के संदर्भ में या तो कार्य कीप्र गति के दौरान अथवा इसके पूर्ण होने पर उत्पन्न हुए हैं ठेकेदार को इसे परामर्शदाता को उचित समय संदर्भित करना होगा, और परामर्शदाता को उनकी प्रस्तुति के पश्चात उचित समय में नियोक्ता से मश्विरा कर निर्णय लिखित में देना होगा. किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, दिशानिर्देश, स्पष्टीकरण, माप, ड्रॉइंग और प्रमाणपत्र, जिनके लिए विशेष रूप से नियोक्ता द्वारा या नियोक्ता द्वारा दिये गये अथवा वास्तविद द्वारा की गई अन्य विशेष स्थितियों के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया है, जिसे बाद में संदर्भित मामलों के रूप में संदर्भित किया

जाता है ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और किसी भी औपचारिकता को पूरी न करने , किसी भी चूक विलंब या किसी भी अन्य आधार पर मान्य नहीं होगा एवं इसके लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी.

All disputes and differences of any kind whatsoever arising out of or in connection with the contract, whether during the progress of the works or after their completion shall be referred by the contractor to the Consultants, and the Consultant shall within a reasonable time after their presentation make and notify decisions thereon in writing after consulting the Employer The decisions, directions, clarifications, measurements, drawings and certificates with respect to any matter the decision for which is specially provided for by these or other special conditions to be given and made by the employer or by the architect on behalf of the Employer are matters which are referred to hereinafter as excepted matters and shall be final and binding upon the contractor and shall not be set aside on account of non-observance of any formality, any omission delay or error in proceeding in or about the same or on any other ground or for any reason and shall be without Appeal.

11.2 समय सीमा/Time limit:

पक्षों के बीच किसी भी विवाद या मतांतर, अनुबंध के तहत निर्माण अथवा संचालन, अथवा विवाद में अधिकार एवं देयता के संदर्भ में अथवा किसी भी तरह के मतांतर अथवा नियोक्ता द्वारा रोका गया ऐसा प्रमाण पत्र जिसके लिए ठेकेदार अपना हक मानता है अथवा नियोक्ता उचित समय में निर्णय देने में असफल रहता है लेकिन उपरोक्त खंड में निर्दिष्ट किसी भी अन्य मामले को छोड़कर विवादित मामलों पर अपने अंतिम दावे को पेश करने के 90 दिनों के बाद ठेकेदार, लिखित रूप में मांग कर सकते हैं कि विवाद या अंतर मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है. मध्यस्थता की इस तरह की मांग उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो प्रश्न, विवाद या मतांतर में हैं और केवल ऐसे विवाद या अंतर को छोड़कर अन्य मामलों को छोड़कर मांग की गई है और किसी अन्य विवाद या अंतर को किसी दोनों पक्षें की और सहमति भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1 9 40 के प्रावधानों के नामित एक अधिकारी की मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा. ऐसी मध्यस्थता पर , फिलहाल प्रभावी अथवा इसके स्थान पर विधायिका द्वारा पारित कोई अन्य अधिनियम अथवा संशोधन लागू होंगे.

In the event of any dispute or difference between the parties here to as to the construction or operation of this contract, or the respective rights and liabilities of the parties on any matter in question dispute or difference on any account or as to the withholding by the Employer of any certificate to which the contractor may claim to entitled to or if the Employer fails to make a decision within a reasonable time, then and in any such case, but except in any of the excepted matters referred to in the above clause, the contractor after 90 days of his presenting his final claim on the disputed matters, may demand in writing that the dispute or difference be referred to arbitration. Such demand for arbitration shall specify the matters which are in question, dispute or difference and only such dispute or difference other than excepted Matters of which the demand has been made and no other dispute or difference shall be referred to the arbitration of an officer to be nominated by the consent of both the parties and the provisions of the Indian Arbitration Act 1940, for the time being in force or of any other Act of the Legislature passed in substitution thereof or modification thereof and the time being in force shall apply to such arbitration

11.3 Arbitration:

ठेकेदार, नियोक्ता अथवा परामर्शदाता की लिखित सहमति को छोड़कर किसी भी तरह से इस तरह के किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को विवाचन को संदर्भित करने की वजह से करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि विवाचन का निर्णय आने तक समुचित सावधानी से कार्य करेगा और वास्तुविद के निर्णय का पालन करेगा.

और मध्यस्थ का कोई भी निर्णय वास्तविक कार्य के संबंध में परामर्शदाता के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने दायित्व के विरुद्ध ठेकेदार को राहत देगा जब तक कि ऐसे निर्णय से विशेष रूप से प्रभावित न हो.

The contractor shall not except with the consent writing of the Employer, or the Consultant, in any way delay the carrying out of the work by reason of any such matter, question or dispute being referred to arbitration but shall proceed with the work with all due diligence and shall, until the decision of the arbitration is given, abide by the decision of the Architect and no award of the arbitrator shall relieve the contractor of his obligation to adhere strictly to the Consultant instructions with regard to the actual carrying out of the work except as specifically affected by such award.

12. सूचनाएं/**NOTICES :**

12.1 1 ठेकेदार को सूचना देना /**Service of notice on contractor**:

अनुबंध की शर्तों के अधीन नियोक्ता अथवा सलाहकार द्वारा ठेकेदार को दिए जाने वाले सभी प्रमाणपत्र , नोटिस अथवा लिखित आदेश पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे अथवा इसे ठेकेदार के कार्य - स्थान पर या इस उद्देश्य के लिए ठेकेदार द्वारा दिए गए अन्य पते पर सुपुर्द किए जाएंगे

All certificates notices or written orders to be given by the Employer or by the Consultant to the Contractor under the terms of the contract shall be served by sending by Registered Post or delivering the same to the contractor's place of business or such other address as the contractor shall nominate for this purpose.

12.2 नियोक्ता को सूचना देना / **Service of notice on Employer:**

अनुबंध की शर्तों के अधीन नियोक्ता को दी जाने वाली सभी नोटिस को डाक द्वारा भेजकरअथवा या नियोक्ता के पते पर सुपुर्द किए जाएंगे

All notices to be given to the Employer under the terms of the contract shall be served by sending by post or delivering the same to the Employers' address.

13. विशेष अनुदेश/SPECIAL INSTRUCTIONS :

13.1 कार्य आरंभ करना/ **Start of work:**

अथवा भाग प्रतिस्थापन जब बिल्डिंग के लिए तैयार है तब कार्य आरंभ किया जाएगा

The work shall be carried out, when the building or parts are ready for installation.

13.2 कार्य आरंभ किया जाएगा. /**Quality & standard :**

काम भारतीय इलेक्ट्रिसिटी नियम एवं प्रणाली मानक कोड तथा अन्य संबंधित विनिर्देशों के अनुसार किया जाना होगा. कारीगरी प्रभारी इंजीनियर/परामर्शदाता की संतुष्टिनुसार करनी होगी. कार्य/मदों को प्रथमिकता नियोक्ता/साइट की स्थिति के अनुसार देना होगी.

The work is to be carried out as per the Indian Electricity Rules & Standard code of practice & other relevant specifications. Workmanship shall be to the satisfaction of the Engineer-in-charge/Consultants. Preference to the work/items shall be given as per requirement of employer & site situations.

13.3 अनुमोदन/**Approval:**

इंस्टॉलेशन को विद्युत निरीक्षक / सी.एस.ई.बी. अथवा अन्य कोई स्थानीय प्राधिकारी से अनुमोदित कराना होगा, यदि आवश्यक हो और इस प्रकार के अनुमोदन ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित किए जाने होंगे. किसी भी परिवर्तन, उनके द्वारा दिए गए सुझाव ठेकेदार को अपनी लागत पर करना होगा

The installation shall have to be approved by Electrical Inspector/C.S.E.B. & or any other local authorities, if required & such approval shall have to be arranged by Contractor. Any alterations, additions suggested by them shall have to be incorporated by the Contractor at his cost.

13.4 कार्य स्थानापन्न /**Replacement of work:**

यदि किसी भी भाग या संपूर्ण काम या किसी भी वस्तु को प्रभारी इंजीनियर / परामर्शदाता की पूरी संतुष्टि पर निष्पादित नहीं किया गया है तो प्रभारी इंजीनियर / परामर्शदाता द्वारा आदेश दिए जाने पर ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कार्य को हटाना एवं पुन: करना होगा.

If any part or whole of the work or any item is not executed to the entire satisfaction of the Engineer-in-charge/Consultant. The Contractor shall have to demolish & do the same work again without any extra cost if so ordered by the Engineer-in-charge/ Consultant.

13.5 मरम्मत और रखरखाव /**Repairs & fitness:**

किसी भी कार्य के पूरा होने पर स्थान ठेकेदार द्वारा साफ किया जाए. केबल डालने के लिए तोड़ी गई दीवार, स्लेब, सड़क इत्यादि एवं उन्हें पुन: मूल रूप में लाने का कायर्स ठेकेदार को दक्ष कर्मचारियों से कराना होगा. The place after any work is completed should be cleaned by the contractor. Breaking of walls, slabs, roads etc. necessary for laying cables, conduits drawing of cables/wires etc. & making them good to original position will have to be done by the contractor through skilled workers.

13.6 ड्रॉइंग का पूरा किया जाना /**Completion drawings:**

कार्य पूरा होने पर ठेकेदार आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण की इंसुलेशन अर्थ परीक्षण रिपोर्ट के साथ तीन प्रति में सर्किट आरेख / चित्र, पूर्ण योजना जिसमें लाइन दिख रही है, नि:शुल्क प्रदान करेगा. इन्हें ठेकेदार अच्छी स्थिति में उसके अंतिम बिल के निर्णय के पूर्व प्रभारी इंजीनियर/वास्तुविद को सौंपेगा. On the completion of the work the Contractor shall supply free of charges, completion plan showing line/circuit diagram in triplicate along with insulation earth test report of the Internal & External electrification. These shall be handed over to the Engineer-in-charge/Architect in good condition by the Contractor before the finalization of his final bill.

14 परीक्षण एवं कमीशनिंग/**TESTING & COMMISIONING :**

लाइटिंग / बिजली के इंस्टॉलेशन को चालू करने से पहले, ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपसिथति में निम्नानुसार करना होगा. परीक्षण करने के लिए आवश्यक सभी परीक्षण उपकरणो की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी. परीक्षण के लिए अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा. Before the lighting/power installation is made alive, the Contractor shall carry out tests enumerated below in presence or Engineer- in charge or his authorized representative. All testing equipment Necessary to carry out the tests shall be arranged by Contractor. Nothing extra shall be payable for Testing.

14.1 स्थान पर लैंप रखे बिना प्रत्येक सर्किट का इन्सुलेशन प्रतिरोध माप पृथ्वी के 5 मेगा ohms से कम नहीं होना चाहिए. Measure Insulation resistance of each circuit without placing lamps in place & it should not be less than 5 mega ohms to earth.

14.2 सक्रिय करने से पहले, फेज़ से फेज़ तक एवं फेज़ से जमीन तक केबल का इन्सुलेशन प्रतिरोध, फेज़ से फेज़ तक एवं फेज़ से जमीन तक लाइटिंग पैनल पर बस बार इन्सुलेशन प्रतिरोध .- पैनल को सक्रिय करने से पहले जो नवीनतम आईएस हो मापा जाएगा. Before energizing, measure insulation resistance of the cable form phase to phase & that from phase to ground, Insulation, resistance of the bus bars at the lighting panel from phase to phase from phase to ground shall be measured-before energizing the panel & should comply latest IS.

14.3 जुड़नार सहित सभी सर्किट एवं सभी स्विच बोर्ड को भी चालू कर सभी फेज़ के लिए विद्युत प्रवाह एवं वोल्टेज लाइटिंग पॅनल बस बार पर मापना होगा Current & voltage of all phase shall be measured at the lighting panel bus bars with all circuits on with fixture & also in all switch board.

14.4 सभी सॉकेट आउटलेट्स के लिए भूमि निरंतरता की जांच करें. सॉकेट के अंदर सॉकेट के लिए फेज़ आक्र न्यूट्रल की सापेक्ष स्थिति निर्धारित करना होगी.Check the earth continuity for all sockets outlets. A fixed relative position of the phase & neutral connection inside the socket-shall be established for sockets.

14.5 5 मानक अर्थ परीक्षण के माध्यम से अर्थ प्रतिरोध के लिए पृथ्वी इलेक्ट्रोड का परीक्षण किया जाएगा. अर्थिंग प्रणाली और पृथ्वी के सामान्य द्रव्यमान के बीच प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होगा The earth electrodes shall be tested for earth resistance by means of standard earth test. The resistance between the earthing system & the general mass of earth shall not be greater than 1 ohm.

14.6 विस्तारित जोड़ों के परगमन के लिए लचीले पाइप के साथ नलिका उपलब्ध कराई जाए जो 250 मिमि से ज्यादा की न हो. वाहिका के दोनो सिरों पर युग्मक उपलब्ध कराने होंगे एवं अर्थ के तार को युग्मक के अर्थिंग टर्मिनल से जोड़ना होगा. While crossing the expansion joints, conduits shall be provided with flexible pipe which shall not be more than 250 mm, at both the ends of conduit proper flexible couplings shall be provided & earth wire shall be properly connected to earthing terminal of coupling.

14.7 निविदाकर्ता को केवल साइट निरीक्षण के बाद अपनी दरों का उद्धरण करना होगा। तारों के फैलाव, स्ट्रीट लाईट के खम्भों के गड्ढे, अर्थ के गड्ढे इत्यादि अथवा अन्य स्थान जहां ठेकेदार को कड़ी सतह को खोदना है, उसे यह केवल उद्धृत दरों पर ही करना होगा. ऐसी खुदाई के लिए कोई ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।The tenderer should quote their rates after site visit only. In case for cable trench, street light pole pit, earthing pit etc. or any place where Contractor has to dig the earth in hard strata or rock he has to do so at quoted rates only. No blasting shall be allowed for such digging.

14.8 नलीदार स्ट्रीट लाईट के खंभे की अर्थिंग के लिए अर्थ स्प्रिट का प्रयोग किया जाए. मानक विनिर्देश के अनुसार 8 एस उब्ल्यूजी जी आई वायर होना चाहिए. For earthing of street light tubular pole earth spirit shall be used. Out of 8 SWG GI wire as per standard specification.

SPECIAL CONDITIONS

1. The workmen will not be allowed to stay within the premises.

2. The water required for the work or workmen can be availed from the available source at site free of cost. The Contractor has to make his own arrangements to take the supply to the requisite position.

3. The electric power required for the work can also be similarly drawn from the supply available at site free of cost. The Contractor has to make his own arrangements to take the supply to the requisite position.

4. Permission, if any, required from the local bodies shall be obtained by the Contractor at his cost.

5. The authorized officials of the Bank shall be entitled to inspect the material/fabrication at any time in the works of the contractor, if they so desire and the vendor shall provide all reasonable facilities to do so.

6. The tenderer may please note that the work is to be executed in administrative office premises of Bank and as such the entire work involved shall be carried out with least disturbance to the working staff.

7. The entire materials for the work shall be brought to the working area through the staircase only without any disturbance.

8. The debris/dust or any wastage generated out of the above work shall be cleaned as frequently as required and as instructed by the Bank's Engineer and make the entire premises clear/clean on a day to day basis including staircase, passages affected/used by the labourers in the above renovations to the satisfaction of the Bank's Engineers at no extra cost. The entire debris/waste material shall be taken out of the Bank's premises and should not be dumped anywhere in and around the Bank's premises. The contractors are solely responsible if any debris is noticed by the local Corporation and penalty levied.

9. The tenderer may please note that the work in question will have to be completed within the stipulated time frame and no extra charges will be paid under any circumstances for the late working hours/working on Sundays or Holidays. All dismantling work and work generating noise shall be done in a planned manner and preferably during day time. The rates shall be accordingly quoted for each item considering the above factors.

10. The tenderer is advised to inspect the proposed site of renovation to understand the scope of work.

11. The work has to be done in proper coordination with the other contractors engaged by the Bank

महत्त्वपूर्ण/IMPORTANT:

जब कभी साइट की विद्यमान परिस्थितियों में उपर्युक्त संचालन/गतिविधि करना अपरिहार्य रूप से मुश्किल हो तो इसकी जानकारी बैंक के वास्तुविद /प्रतिनिधि के ध्यान में लाई जाना चाहिए और बैंक से इसके विकल्प के संबंध में लिखित रूप में स्वीकारोक्ती प्राप्त करना होगी.

Whenever any of the aforesaid operations/activities are found unavoidably difficult to carry out, due to existing site conditions the same shall immediately be brought into the knowledge of bank's architect/representative and a written acceptance for an alternative must be obtained from

SAFETY CODE

1.First aid appliances including adequate supply of sterilized dressing and cotton wool shall be kept in a readily accessible place.

2.An injured person shall be taken to a public hospital without loss of time, in cases where the injury necessitates hospitalization.

3.Suitable and strong scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground/floor.

4.No portable single ladder shall be over 8 meters in length. The width between the side rails shall not be less than 30 cm. (Clear) and the distance between two adjacent rungs shall not be more than 30 cm.

5. When a ladder is used an extra mazdoor shall be engaged for holding ladder.

6.The excavated material shall not be placed within 1.5 metres of the edge of the trench or half of the depth of trenches whichever is more. All trenches and excavations shall be provided with necessary fencing and lighting.

7.Every opening in the floor of a building or in a working platform be provided with suitable means to prevent the fall of persons or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be one metre.

8.No floor, roof or other part of the structure shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.

9.Workers employed on mixing and handling material such as asphalt, cement mortar or concrete and lime mortar shall be provided with protective footwear and rubber hand-gloves.

10. Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eye shields and gloves.

11. No product containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or readymade product. (ii) Suitable facemasks should be supplied for use by the workers when the paint is applied in the form of spray or surface having lead paint dry rubbed and scrapped.

12. Overalls shall be supplied by the Contractor to the workers and adequate facilities shall be provided to enable the working staff to wash during the periods of cessation of work.

13. Hoisting machines and tackle used in the works, including their attachments, anchorage and supports shall be in perfect condition.

14. The ropes used in hoisting or lowering material or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength and free from defects.

15. Any other safety measure as specified by the manufacturer is to be adopted.

FIRE SAFETY CODE

1. Cutting / drilling machine and other electrically operated equipment's used at site shall be plugged into correctly rated electrical outlets.

2. Only ISI marked 3-pin plug and other appliances and equipment's shall be used.

3. Electrical power cables/wires used shall not have any joints and shall be properly rated.

4. . All electrical appliances i.e. welding, drilling, cutting machine etc. shall be safely and securely earthed to prevent leakage current while in operation.

5. Before commencing the welding work for the first time on any day, the Engineers shall be informed and only after the site inspection by them, work shall be started.

6. Two buckets of water and sand shall be kept in an easily accessible area on the site.

7. Fire extinguishers recommended shall be kept on the site.

8. Used drums shall be stored in specified store only after closing them properly.

9. Personal protective equipment's such as safety shoes, hand gloves, welder's mask, ear plug etc. depending upon the requirement of the work

10. The safety belt shall be provided by the contractor and used by the workmen while working from height for more than 10' from Ground level.

11. None of the passages near lift lobby and staircases shall be used for stacking / dumping any kind of materials/waste.

12. None of the fire extinguishers shall be removed/shifted from its designated location.

13. . Power supply shall be switched off from the mains when equipment is not in use.

14. . Wood-shavings and sawdust generated from the work shall be collected on daily basis, removed from site and stored at the designated place in proper manner.

15. Any debris generated from the work shall be collected on daily basis, removed from site and stored at the designated place in proper manner.

16. Battery operated emergency light/torches shall be provided by the contractor to the workmen while working beyond office hours.